अध्याय 8

समाज और हमारे दायित्व

साधारण शब्दों में समाज को व्यक्तियों का एक ऐसा समूह माना जाता है , जिसकी एक समान संस्कृति होती है। समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। एक व्यक्ति किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का पति तो किसी का भाई भी हो सकता है। यदि हम संसार को लें तो व्यक्तियों का परिवार से और एक परिवार का अन्य परिवारों से सामाजिक संबंध पाया जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेला मनुष्य स्वयं नहीं कर पाता है। अतः उसे दूसरों के साथ सहयोग करना होता है, वह उनके साथ मिल–जुलकर काम करता है। इस प्रक्रिया से लोगों में सामाजिक संबंध पनपते हैं। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, अतः समाज सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था है। इन सामाजिक संबंधों के फलस्वरुप व्यक्ति को समाज में विभिन्न प्रस्थितियाँ (status) प्राप्त होती हैं और उनके अनुसार ही उसे विभिन्न व्यवहार एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है, क्योंकि समाज भी व्यक्ति से उसको प्राप्त प्रस्थितियों के अनुरूप ही उसके व्यवहार, क्रियाएँ एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा करता है।

व्यक्ति और समाज एक–दूसरे पर आश्रित हैं। उनका संबंध एक पक्षीय नहीं है, बल्कि दोनों ही एक–दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विकास के लिए अनिवार्य हैं। व्यक्ति समाज के बिना अपना विकास नहीं कर सकता, तो वहीं समाज का अस्तित्व भी व्यक्तियों से ही है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि –

1. **मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है–** मनुष्य में स्वभाव से ही सहयोग एवं सह–अस्तित्व की भावना पायी जाती है। वह समाज से अलग अकेला नहीं रह सकता। समाज में रहते हुए वह अन्य मनुष्यों के साथ समाज की गतिविधियों में भाग लेता है, जिससे उसका विकास होता है।
2. **आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है–** मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। वह अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता लेता है। व्यक्ति समाज में ही उत्पन्न होता है। बच्चा माता–पिता की देखभाल में पलता है और उनके साथ रहकर ही नागरिकता का पहला पाठ पढ़ता है। कोई भी व्यक्ति तब तक मनुष्य नहीं बन सकता, जब तक कि वह अन्य मनुष्यों के साथ नहीं रहे। हम दूसरों के साथ रहकर तथा उनकी सहायता से अपनी भोजन, आवास, कपड़ा आदि की जरुरतें पूरी करते हैं। अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी व्यक्ति को सामाजिक बनना ही पड़ता है।

   मनुष्यों के सम्पर्क से दूर और पशुओं के बीच पल जाने वाले कुछ बच्चों के उदाहरण भी मिले हैं, परन्तु उनकी आदतें और व्यवहार पशुओं जैसे ही विकसित हो गए थे।
3. **समाज व्यक्तित्व का विकास करता है–** समाज में मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज व्यक्ति में अन्तर्निहित शक्तियों को विकसित और मर्यादित करता है। समाज में हमारे

www.rajteachers.com

दृष्टिकोण, विश्वास और आदर्श समुचित रूप से ढलते हैं। समाज हमारी संस्कृति को न केवल सुरक्षित रखता है, बल्कि उसे अगली पीढ़ी तक भी पहुँचाता है।

गतिविधि :

सोचिए, यदि आप को कुछ दिन निर्जन स्थान पर अकेले में जीवन बिताना पड़े, तो आपको कौनसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आपको कैसा अनुभव होगा ।

व्यक्ति में समाज के प्रति अन्तर्निहित विरोध

यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति का समाज के साथ या फिर अपने साथ के मनुष्यों के समूह के साथ सदैव सामंजस्य बना ही रहे। कई बार व्यक्ति का उसके समाज के साथ किन्हीं पहलुओं पर गंभीर विरोध उत्पन्न हो सकता है, जो उसकी परिस्थितियों से मेल न खाते हों। किन्तु इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्था में ही ह्रास हो रहा हो तथा इस कारण से व्यक्ति और समाज में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। समाज की संस्थाओं में विभिन्न कारणों से कभी विकार भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के वातावरण में पला–बढ़ा है, यदि उसे दास–प्रथा के वातावरण में रख दिया जाए, तो यह स्थिति उसके लिए दमनकारी और कष्टदायक होगी। उस स्थिति में वह समाज–विरोधी हो जाएगा। उसके विरोध का कभी भी आकस्मिक तथा अभूतपूर्व विस्फोट हो सकता है। वह समाज में लोकतांत्रिक और मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष कर सकता है।

अतः समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक–व्यवस्थाएँ लोकतांत्रिक, समानतावादी और मानवतावादी होनी चाहिए। समाज की व्यवस्थाएँ व्यक्ति की अवहेलना न करके, उसके विकास में साधक बने । व्यक्ति को समाज के प्रति कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में सक्षम बनाना समाज का कर्त्तव्य है। ऐसा समाज स्वस्थ समाज होता है। इस प्रकार के समाज में अन्तर्विरोधों की सम्भावनाएँ कम ही होती हैं।

गतिविधि :

आप जिस प्रकार के सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं, उस पर अपने साथियों से विचार करके एक लेख लिखिए।

हमारे सामाजिक दायित्व

हमारे ऋषियों अर्थात् संस्कृति–पुरुषों ने ऋग्वेद में एक स्थान पर प्रार्थना की है कि – "हे ईश्वर! हम अपने पडौसी के प्रति अन्याय न करें, न ही अपने मित्र को हानि पहुँचायें। हमारे प्रति प्रेम करने वालों के प्रति हमसे कोई दुर्व्यवहार न हो जाय।"

एक अन्य स्थान पर उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की है कि "सब मनुष्य भली प्रकार मिल कर रहें और प्रेमपूर्वक आपस में वार्तालाप करें। सबके मनों में एकता का भाव हो और वे अविरोधी ज्ञान प्राप्त करें। सभी लोग सहयोगपूर्वक कार्यों को करें।"

जिस समाज के सदस्य इस प्रकार का आचरण करते हैं, उस समाज में सुख तथा शान्ति का

www.rajteachers.com

वातावरण बना रहता है और मनुष्य का कल्याण होता है। ये विचार मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हैं।

समाज और व्यक्ति परस्पर निर्भर होते हैं, अतः स्वस्थ और सुखी समाज की स्थापना के लिए व्यक्ति के समाज के प्रति कर्त्तव्य बनते हैं। समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार का आचरण करना उचित होगा –

(1) समाज के प्रति उचित आचरण : हमें बदलते सामाजिक परिवेश को समझ कर उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। हमारा समाज स्वस्थ और विकास–उन्मुख जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए हमें समाज में प्रचलित रूढ़ियों को समाप्त करना होगा और बहुत से सुधार करने होंगे। व्यक्ति की गरिमा का हनन् करने वाली और महिलाओं का असम्मान करने वाली दहेज आदि कुप्रथाओं का त्याग करें। भारतीय परम्परा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठावान् महापुरुषों ने इन बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। एकता, भातृत्व भाव और सह–अस्तित्व की भावना से जीवन बिताते हुए ही हम अपनी व समाज की उन्नति कर सकते हैं। स्वयं भी जियें और दूसरों को भी जीने दें। यदि हम अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वाह करते हैं, तो हमारा समाज और राष्ट्र निरन्तर प्रगति करता रहेगा।

(2) समाज की उत्पादक इकाई बने : देश की अर्थव्यवस्था एवं उत्पादन बराबर चलता रहे, इसके लिए नागरिकों को निरन्तर कार्य में लगे रहना चाहिए। हमें लापरवाही, हड़ताल जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए। प्रत्येक नागरिक जो भी कार्य कर रहा है, उस कार्य को पूरी ईमानदारी से करें और उत्पादन की मात्रा और गुणात्मकता को बढायें। उत्पादन का तरीका सांस्कृतिक और जीवन–मूल्यों की रक्षा करने वाला हो। विद्यार्थियों का कर्त्तव्य है कि वे मन लगाकर और मेहनत से शिक्षा प्राप्त करके समाज के उपयोगी सदस्य बनें। हमें राष्ट्र को सबल, समृद्ध और सुखी बनाने के लिए निरन्तर कार्यशील रहना चाहिए।

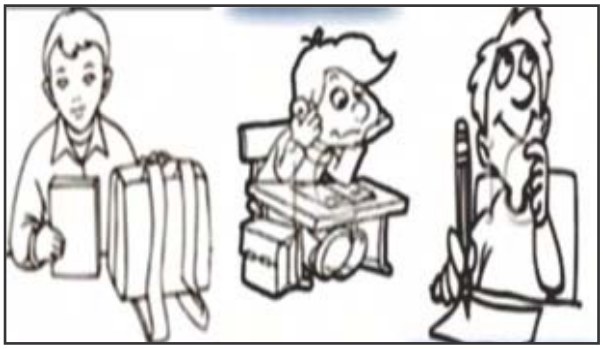

बच्चे शिक्षा प्राप्त करके सुनागरिक बनें

(3) सार्वजनिक जीवन में अनुशासन : प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता का अर्थ है– इच्छानुसार काम करना, परन्तु इसका मतलब मनमानी करना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, जो स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगाते हैं और मनमानी करते हैं। वे स्वतंत्रता का दुरूपयोग करते हैं।

आपने देखा होगा कि कुछ लोग सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। ऐसे और भी अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। कुछ लोग कहीं भी दीवारों पर लिख देते हैं, पोस्टर चिपका देते हैं। अनेक लोग देर रात तक और जोर–जोर से संगीत बजाते हैं। कुछ लोग नशा करके हुड़दंग मचाते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं जैसे– ट्रेन, बस, बस–स्टेण्ड, उद्यान आदि में सुविधाओं का लापरवाही से प्रयोग करते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, चीजों को

www.rajteachers.com

इधर–उधर डाल देते हैं या चोरी कर ले जाते हैं। कचरे को उचित स्थान पर नहीं डाल कर इधर–उधर डाल देते हैं और गंदगी फैला देते हैं। अनेक लोग संचार के साधनों के माध्यम, इंटरनेट तकनीक और उसके सोशल मिडिया जैसे संचार मंच का दुरुपयोग कर साइबर अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि अनुशासनहीनता है। समाज में कुछ लोगों द्वारा किये गए इन गलत कार्यों से अनुशासनहीनता का वातावरण बनता है। समाज में लड़ाई–झगड़ा और संघर्ष पैदा होता है। इन कार्यों से देश और समाज को नुकसान होता है और देश की प्रगति बाधित होती है। हमें हिंसा, उत्तेजना और अश्लील आचरण से बचना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज को कष्ट उठाने पड़े।

अपना पक्ष रखने या विरोध जताने के लिये उत्तेजना और हिंसा उचित नहीं है। लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, किंतु तरीका सभ्य व लोकतांत्रिक होना चाहिए। अपने विचारों को संयम और तर्क के साथ रखना चाहिए। हमें सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए।

गतिविधि :
आप अपने परिवेश में अनुशासनहीनता सम्बन्धी जिन गतिविधियों को देखते हैं, उनकी एक सूची बनाइए।

(4) दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना : हम अपने लिए दूसरों से जो अधिकार चाहते हैं, वे अधिकार हम उन्हें भी प्रदान करें। सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लोकतांत्रिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो समाज में व्यक्तियों के परस्पर सम्मान और समानता, सद्भावना व बंधुत्व भाव के विरुद्ध हों। समाज में समरसता का निर्माण करने में सहयोग करें। हमारा उद्देष्य सभी का उत्कर्ष और उनकी सुख–समृद्धि होना चाहिए।

(5) संस्कृति की रक्षा : वैश्विक संस्कृति के इस युग में प्रत्येक बात का अन्धानुकरण न करके हमें उसमें से सत्य को पहचानना होगा और अपनी परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार उसका परिष्कार करना होगा। हमारा संविधान हमसे अपेक्षा करता है कि हम भारतीय सामासिक संस्कृति व परम्पराओं का महत्त्व समझे और उनके स्वस्थ व गौरवशाली स्वरुप का परिरक्षण करें। हम अपने पारिवारिक व सामाजिक मूल्यों की रक्षा करें। देश के महापुरुषों व स्वाधीनता–संघर्षकालीन राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करें व उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करें। हमारी राष्ट्रीय धरोहरों व स्मारकों की रक्षा करें।

(6) राजनीतिक जागरूकता : भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक जागरूकता जरूरी है। वह नागरिक राजनीतिक रूप से जागरूक कहलाता है जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहता है और अपने कर्त्तव्यों का पालन स्वतः ही करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार–पत्र और पत्रिकाएँ आदि जन संचार के माध्यमों के उपयोग से हमारे ज्ञान का विस्तार होता है और हमारी राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। समाचारों के साथ विद्वानों के विचार सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। इससे हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए।

www.rajteachers.com

(7) विवेकपूर्ण मतदान : मत (वोट) देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक की सबसे बड़ी शक्ति है। इस कारण मतदान का लोकतंत्र में विशेष महत्त्व है। किन्तु कुछ लोग अपने इस महत्त्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जागरूक नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे मतदान के लिए नहीं जाते। मतदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। यदि आप मतदान नही करते हैं, तो हो सकता है कि आप जिस उम्मीदवार को योग्य समझते हैं और जिस राजनीतिक दल की नीतियों को ठीक समझते हैं, वह जीत नहीं पाए और वह सरकार नहीं बना पाए। यदि बहुत बड़ी मात्रा में लोग मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं तो हो सकता है कि देष अच्छे शासन से वंचित हो जावे। अतः मतदान अवश्य करना चाहिए।

मतदान केंद्र का दृश्य

समझदार एवं अनुभवी मतदाता हमेशा योग्य व्यक्ति के पक्ष में अपना मतदान का प्रयास करता है। परन्तु कुछ मतदाता ऐसे हो सकते हैं जो रिश्तेदारी, जाति या धर्म के आधार पर अथवा प्रलोभन में आकर बिना सोचे समझे अयोग्य व्यक्ति को मतदान कर सकते हैं। हमें राष्ट्रहित में सोच–समझकर मतदान करना चाहिए।

(8) स्वच्छता एवं स्वास्थ्य : घर, मोहल्लों और अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाएँ रखें और कचरे को यथास्थान डालें। पॉलिथिन की थैलियों का प्रयोग न करें, उसके स्थान पर कागज व कपड़े से बने थैले ही काम में लें। कोई भी ऐसा कृत्य न करें, जो मानवीय जीवन को खतरे में डाले। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मादक व नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। हमारे देश में प्रति वर्ष हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिसका एक कारण समय पर खून उपलब्ध नहीं हो पाना है। अतः दूसरों का जीवन बचाने के लिए हमें रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान है।

स्वच्छ भारत अभियान

(9) प्रशासन की सहायता करना : हो सकता है कि आपके आस–पास कोई व्यक्ति नकली या मिलावटी माल बेचता हो। आप ऐसे कार्यों की सूचना प्रशासन को देवें। रिश्वत लेना और देना दण्डनीय अपराध है। रिश्वत नहीं देनी चाहिए और रिश्वत माँगने वालों की प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। अफवाह फैलाने तथा हिंसा और उत्तेजना उत्पन्न करने से बचना चाहिए। ऐसा करने वालों की सूचना पुलिस एवं प्रशासन को देनी चाहिए। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। भूकम्प, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिकों व प्रशासन की सहायता करनी चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।

(10) पर्यावरण की रक्षा : प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि हमारी प्राकृतिक धरोहर वन, झील और नदियों की रक्षा और संवर्धन करे। कुएँ, तालाब, झील और नदियों में कचरा व अपशिष्ट पदार्थ न

www.rajteachers.com

डाले। अधिक से अधिक पेड़ लगावे। प्रकृति के साधनों का मितव्ययता के साथ उपयोग करे। हम प्रकृति से उतना ही लें और इस प्रकार लें कि प्रकृति उस कमी की स्वयं पुनः पूर्ति कर लें। हमें पर्यावरण मित्र बनना चाहिए।

पर्यावरण की रक्षा

(11) सेवा कार्य : हमें प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना चाहिए। संकटग्रस्त लोगों, निराश्रितों, वृद्धों और बालकों की मदद करनी चाहिए। अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम और गरीबों की बस्तियों में समय–समय पर अपनी सेवा व सहयोग प्रदान करना चाहिए। शिक्षा के प्रसार में सहयोग करना चाहिए। दिन में कम से कम एक सेवा का कार्य तो अवश्य करना चाहिए।

गतिविधि :
अपने शिक्षक की सहायता से विद्यालय और अपने गाँव / मोहल्ले में सामाजिक दायित्वों का बोध करवाने वाले नारे लिखिए।

हमें भारतीय संस्कृति के शाश्वत् जीवन मूल्यों के साथ राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, समता और विश्व–बंधुत्व के आदर्शों को एक समन्वित रूप में समाज में विकसित करना है। संस्कृति के संरक्षण के साथ–साथ उसे गति भी देकर सजीव व सक्षम बनाना है।

शब्दावली

सोशल मीडिया – यह ऑनलाइन संचार चैनलों का एक माध्यम है जो कि लोगों के लिये नेटवर्क में सूचनाओं, विचारों, तस्वीरों और चलचित्रों के सृजन सहभागिता या आदान–प्रदान को सम्भव बनाता है।

सामासिक संस्कृति – सामासिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य हैं जिसमें सहिष्णुता सन्निहित है।

www.rajteachers.com

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(I) निम्नलिखित में से जो बात सत्य है, वह है–

(अ) मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है।

(ब) आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है।

(स) समाज व्यक्तित्व का विकास करता है।

(द) उपर्युक्त तीनों ही। ( )

(ii) समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्थाएँ होनी चाहिए–

(अ) लोकतांत्रिक (ब) समानतावादी

(स) मानवतावादी (द) उपर्युक्त तीनों ही। ( )

2. स्तम्भ 'अ' एवं 'ब' को सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	**स्तम्भ 'ब'**
(I)	वन, झील और नदियों की रक्षा करना।	राजनीतिक जागरुकता
(ii)	संकटग्रस्त लोगों, निराश्रितों, वृद्धों और बालकों की मदद करना।	पर्यावरण की रक्षा
(iii)	अपने अधिकारों की रक्षा और कर्त्तव्यों का पालन करना	सेवा कार्य

3. मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों है ?

4. हम किस प्रकार प्रशासन की सहायता कर सकते हैं ?

5. विरोध जताने के तरीके कैसे होने चाहिए?

6. जागरुक मतदाता की विशेषताएँ बताइए।

www.rajteachers.com

अध्याय 9

लोकतंत्र और समानता

समानता का एक अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी आवश्यकता का ध्यान रखते हुए समान व्यवहार करना और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर उपलब्ध करवाना। 'समानता' लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सरकार व्यक्ति को कानून के सामने समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन कहते हैं।

'कानून का शासन' किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अन्तर नहीं किया जा सकता।

लोकतंत्र के विभिन्न घटकों में (i) अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार 'राजनीतिक लोकतंत्र' है। (ii) व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता 'आर्थिक लोकतंत्र' है। (iii) व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 'सामाजिक लोकतंत्र' है। समाज में समानता स्थापित करने के लिए केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र आना चाहिए। किसी एक क्षेत्र में लोकतंत्र का अभाव दूसरे क्षेत्र में लोकतंत्र को नहीं पनपने देता। भारतीय संस्कृति की अवधारणा यह भी है कि समानता के साथ–साथ मनुष्यों में परस्पर एकता और अपनापन भी होना चाहिए।

समानता एवं भारतीय संविधान

भारतीय संविधान सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का निर्देश देता है। भारतीय संविधान ने समानता के अधिकार को इस प्रकार स्पष्ट किया है–

1. सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म–स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती।

www.rajteachers.com

2. दुकान, सिनेमाघर और होटल जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता।
3. सार्वजनिक कुएँ, तालाब, स्नानागार, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है।
4. सरकार में किसी भी पद पर नियुक्ति या नौकरी में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म–स्थल के आधार पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
5. संविधान सामाजिक भेदभाव के एक रूप– छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सरकार को निर्देश देता है। सरकार ने किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार देते हुए इसे एक दण्डनीय अपराध करार दिया है।
6. किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म आदि के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता।
7. सरकार समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती है और न ही कोई ऐसा फैसला ले सकती है। कोई नागरिक या संस्था या फिर स्वयं सरकार भी यदि व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करती है, तो वह व्यक्ति अदालत के जरिए उसे रोक सकता है। जब मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो, तो ऐसे मामलों को लेकर कोई भी व्यक्ति 'जनहित याचिका' के माध्यम से अदालत में मामले को उठा सकता है।

मताधिकार की समानता

भारत जैसे लोकतंत्रीय देश में सभी वयस्कों अर्थात् 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिकों को मत (वोट) देने का, अर्थात् सरकार चुनने का अधिकार है ; चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर, चाहे स्त्री हो या पुरुष। हर एक को मत देने का अधिकार है। सबके मत की कीमत समान होती है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह लोकतंत्र का आवष्यक पहलू है।

गतिविधि :
आपके क्षेत्र के मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) से मतदान दिवस के बारे में चर्चा कीजिए।

पंथ निरपेक्षता और समानता

भारत में कोई भी धर्म या पंथ राजकीय धर्म या पंथ के रूप में मान्य नहीं है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ व्यक्ति अपने मत के अनुसार जीवन व्यापन करते हैं। प्रत्येक को अपने धर्म या पंथ के पालन की स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों या पंथों को बराबर का सम्मान देती है। परन्तु भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति एवं विशिष्टताओं को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने शैक्षिक–संस्थान स्थापित कर सकते हैं।

www.rajteachers.com

नीति निदेशक तत्व और समानता

संविधान सरकार को निर्देशित करता है कि वह आर्थिक न्याय और अवसर की समानता स्थापित करने के लिए कार्य करे। सरकार आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करे। वह व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ–साथ ही सरकार अनेक योजनाएँ व कार्यक्रम चला रही है।

गतिविधि :

आपके क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेले किस प्रकार सामाजिक समानता एवं समरसता को बढ़ाते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।

आरक्षण व समानता

अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण के पीछे उद्देश्य यह है कि समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों को विकास के विशेष अवसर देकर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के द्वारा उन्हें समाज की मुख्य धारा में बराबरी की स्थिति में लाना।

सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं में महिला, वंचित वर्ग, गरीब और 'अन्यथा सक्षम लोगों' (विशेष योग्यजनों) को प्राथमिकता देती है। संसद और विधानसभाओं में कुछ पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। स्थानीय निकायों में तो महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में भी इन सभी वर्गों के लिए पद आरक्षित हैं। लोक कल्याण के लिए तथा समानता स्थापित करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि ये लाभ अति जरूरतमंद व्यक्तियों तक अवश्य पहुँचे।

भारत की छः दशकों से अधिक की लोकतांत्रिक यात्रा का परिणाम ही है कि समाज के वे समूह जो दीर्घकाल से पिछड़े हुए थे, उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। हर क्षेत्र में सभी वर्गों की सहभागिता बढ़ रही है। समतामूलक और न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है, जिसका अवसर लोकतंत्र ही प्रदान करता है।

शब्दावली

जनहित याचिका – न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषय का प्रार्थना–पत्र

समतामूलक और न्यायप्रिय समाज–ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता स्थापित हो।

www.rajteachers.com

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

   (i) लोकतंत्र बढ़ावा देता है –

   (अ) असमानता को (ब) समानता को

   (स) विशेषाधिकारों को (द) भेदभाव को ( )

   (ii) मत देने का अधिकार है –

   (अ) अमीर को (ब) पुरुष को

   (स) पढ़े–लिखे को (द) सभी वयस्क नागरिकों को ( )

2 स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	**स्तम्भ 'ब'**
(i)	अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार	आर्थिक लोकतंत्र
(ii)	व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता	सामाजिक लोकतंत्र
(iii)	व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता	राजनीतिक लोकतंत्र

3. 'कानून के शासन' से क्या तात्पर्य है?
4. 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' किसे कहते हैं?
5. 'पंथ निरपेक्षता'क्या है?
6. भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को किस प्रकार स्पष्ट किया गया है?

www.rajteachers.com

अध्याय 10

लैंगिक समझ और संवेदनशीलता

हमारे देष में नारी को सम्मान देने की गौरवशाली परम्पराएँ रही हैं। हमारी सांस्कृतिक धारणा है कि जिस परिवार में नारी के साथ अच्छा तथा सम्मानजनक व्यवहार होता है, उस पर देवता प्रसन्न रहते हैं। वहाँ सुख–शांति और समृद्धि होती है। अतः नारी को गृहलक्ष्मी कहा गया है। जिस परिवार में नारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, वहाँ सुख–षान्ति और समृद्धि का अभाव होता है तथा उस परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

सरस्वती के रूप में नारी समाज को षिक्षा प्रदान करती है। माता हर बालक की पहली षिक्षक है। वह बालक में अच्छे गुणों का विकास करती है। नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। स्पष्ट है कि सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसार भारतीय समाज में नारी का सम्मानजनक स्थान रहा है। नारी ने अपने त्याग, प्रेरणा, क्षमा, सहिष्णुता, प्रेम और ममता से परिवार, समाज और राष्ट्र को समुन्नत किया है।

प्राचीन कालीन भारतीय समाज और नारी

प्राचीन भारत में नारी की स्थिति सुखद थी। उस काल में महिलाएँ सभी कार्यों में पुरुषों के समान बराबरी से भाग लेती थीं। कोई कार्य लिंग के आधार पर बँटा हुआ नहीं था। स्त्री–पुरुष और बालक–बालिकाओं का समान महत्त्व था। हमें उस काल की गार्गी, मेत्रैयी, लोपामुद्रा आदि उच्च षिक्षित महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जो पुरुषों के साथ षास्त्रार्थ में भाग लेती थीं। अनेक वैदिक ऋचाओं की रचना महिलाओं (ऋषिकाओं) द्वारा की गईं। महिलाएँ राजकार्य और युद्धों में भी भाग लेती थीं। राजतरंगिणी में उल्लेख है कि सुगन्धा, दिद्दा और कोटा नामक महिलाओं ने बहुत समय तक कष्मीर में षासन का संचालन किया था।

मध्यकाल में नारी की स्थिति

परवर्तीकाल में, विषेषकर मध्यकाल में भारतीय नारी की पारम्परिक स्थिति में गिरावट आ गई थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मामलों में बालक–बालिका के बीच अन्तर किया जाने लगा। बदली हुई परिस्थितियों में उसे षिक्षा से वंचित रहना पड़ा। उसे घरेलु कार्यों की जिम्मेदारियों तक सीमित कर घर की चारदीवारी में ही रहने को बाध्य किया गया। बालविवाह, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, दहेज प्रथा जैसी अनेक कुप्रथाओं से उसे पीड़ित होना पड़ा। उसकी पुरुष पर निर्भरता बढ़ती गई। अनेक सामाजिक मान्यताओं के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। इस काल में दुर्गावती, अहिल्याबाई और 19वीं षताब्दी में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी साहसी महिलाओं ने अपने राज्य का शासन–संचालन करते हुए शत्रु से लोहा लिया। भक्तिमति मीराबाई ने जनमानस पर व्यापक प्रभाव डाला ।

झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई

www.rajteachers.com

19वीं शताब्दी के समाज–सुधार और नारी

19वीं शताब्दी में समाज–सुधारकों ने नारी की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। राजा राममोहन राय ने सतीप्रथा के विरूद्ध कानूनी प्रतिबंध लगवाया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा–विवाह के समर्थन में जागृति पैदा की। इनके संबंध में कानून भी बनाए गए। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने महिला–शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने भी नारी–उत्थान के लिए कार्य किया। आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी प्रमुखता से भाग लिया। 20वीं शताब्दी में महिला–आन्दोलन ने जोर पकड़ा, जिसने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। हालाँकि इस क्षेत्र में अभी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले

गतिविधि :

1. विभिन्न समाज सुधारकों के चित्रों को चार्ट पर चिपका कर उनके कार्यों को लिखिए।
2. शिक्षक की सहायता से स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाली महिलाओं की सूची बनाइए।

महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। अक्सर हम लैंगिक–बोध जैसी चर्चाएँ भी सुनते हैं। इससे जुड़ी हुई बातों के साथ ही इसे समझना उपयोगी है।

लिंग–भेद

एक माता अपने शिशु को अपना दूध पिलाती है, परन्तु इस प्रकार की विशेषता प्रकृति ने पुरुष को प्रदान नहीं की है। स्त्री और पुरुष का यह अन्तर लिंग–भेद है। लिंग–भेद स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट पर आधारित जैविक अंतर है, जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आधार है। प्राकृतिक होने के कारण इस प्रकार का अन्तर सभी जगह और सभी समय समान होता है।

लैंगिक भेद

लैंगिक भेद को 'लैंगिक असमानता' भी कह सकते हैं। सामाजिक असमानता का यह रूप न्यूनाधिक मात्रा में दुनिया में प्रायः हर स्थान पर मौजूद रहा है। ऐसा नहीं है कि पुरुष घरेलु व घर की देखभाल के कार्य नहीं कर सकते हैं, किन्तु ऐसी सोच बनी हुई है कि घर के भीतर के कार्य महिलाओं की जिम्मेदारी है। जबकि वे घर से बाहर के व धन कमाने के कार्य भी कर सकती हैं और कर भी रही हैं। यह सोच लैंगिक भेद का एक उदाहरण है।

www.rajteachers.com

स्त्रियों और पुरुषों के बीच अधिकारों, अवसरों, कर्त्तव्यों तथा सुविधाओं के बीच असमानता पर आधारित बँटवारा लैंगिक भेद है। यह अवधारणा एक सामाजिक–सांस्कृतिक निर्माण है जो समय और स्थान के साथ बदलती रही है। अनेक सामाजिक मूल्य और रूढ़ीवादी धारणाएँ लैंगिक भेद को हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अन्तर से जोड़ती रही हैं।

घरेलू कार्य करती महिलाएँ

लैंगिक संवेदनशीलता

लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है कि स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना। लैंगिक संवेदनशीलता को लैंगिक समानता भी कहते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता को समझकर बालक–बालिका के पालन–पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य में कोई अन्तर नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने विकास के लिए समान अवसर और अधिकार देने चाहिए। हमारे समाज की खुशहाली स्त्री और पुरुष दोनों के ही समान सहयोग पर निर्भर है। महाकवि कालिदास ने कहा है– ''यह स्त्री है, यह पुरुष है– यह निरर्थक बात है। वस्तुतः सत् पुरुषों का चरित्र ही पूजा के योग्य होता है।''

अब हम समाज में मौजूद लैंगिक भेद (असंवेदनशीलता) के अनेक रूपों पर चर्चा करते हैं–

लैंगिक भेदभाव के विभिन्न रूप–

1. श्रम का लैंगिक विभाजन

लड़के और लड़कियों के पालन–पोषण के दौरान ही यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी घर चलाने और बच्चों का पालन–पोषण करने की है। हम देखते हैं कि परिवार में खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन और कपड़े धोना आदि घरेलू कार्य महिलाएँ करती हैं। इसके अलावा गाँवों में महिलाएँ और बालिकाएँ दूर–दूर से पानी लाने और जलाऊ लकड़ी के गट्ठर ढोने के कार्य भी करती हैं। वहीं महिलाएँ खेतों में पौधे रोपने, खरपतवार निकालने, फसले काटने और दुधारु पशुओं की देखभाल का कार्य भी करती

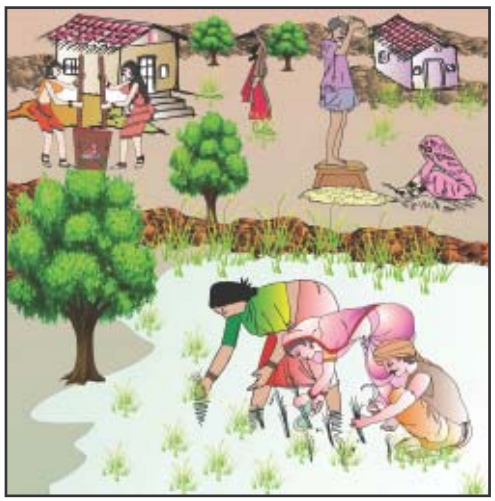

खेत में काम करती महिलाएँ

www.rajteachers.com

हैं। फिर भी हम जब किसान के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक महिला किसान के बजाए पुरुष किसान की छवि ही उभरती है।

एक तरफ ये कार्य भारी और थकाने वाले होते हैं, तो दूसरी ओर महिलाओं द्वारा किये गए इन कार्यों का महत्त्व कम करके आँका जाता है। ऐसे कार्यों में लगी महिलाओं को मजदूरी भी कम दी जाती है। इन कार्यों में लगी लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। वास्तव में यदि हम महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर और बाहर के कामों को जोड़ें, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर सामान्यतः महिलाएँ पुरुषों से अधिक काम करती हैं।

2. शिक्षा और काम के अवसर

पुरुषों की तुलना में शिक्षित स्त्रियों की संख्या कम है। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। परन्तु बहुत–सी लडकियाँ गरीबी, शिक्षण–सुविधाओं के अभाव व अन्य कारणों से शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देती हैं। विशेषकर वंचित वर्ग, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियाँ बड़ी संख्या में बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं।

पशु चराती बालिका

राजस्थान जनगणना – 2011

1. लिंगानुपात	:	928 प्रति हजार
2. कुल साक्षरता	:	66.17 प्रतिशत
पुरूष साक्षरता	:	79.20 प्रतिशत
महिला साक्षरता	:	52.10 प्रतिशत

समाज में प्रायः यह सोचा जाता है कि घर के बाहर महिलाएँ कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। यह भी माना जाता है कि लड़कियाँ और महिलाएँ तकनीकी कार्य को करने में सक्षम नहीं होती हैं। इस प्रकार की रूढ़ीवादी धारणाओं के चलते लड़कियों को अनेक कार्यों व व्यवसायों की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने के लिए परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप उन्हें अनेक क्षेत्रों में कार्य के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। सरकार के प्रोत्साहन एवं प्रयासों के बाद अब स्थितियाँ बदलने लगी हैं। अब सभी कार्य क्षेत्रों में महिलाओं को भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है।

मोहल्ले की सामुदायिक सभा में महिलाओं की कम उपस्थिति

3. सामुदायिक सहभागिता

सामुदायिक स्तर पर भी महिलाओं और पुरुषों की भूमिका और सहभागिता में बड़ा भेद मौजूद है। घर की चार दीवारी तक

www.rajteachers.com

सीमित कर दिए जाने के कारण सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में है और महिलाओं को कम भागीदारी दी जाती है। उन्हें सामुदायिक कार्यों के नेतृत्व के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते हैं।

यद्यपि भारत में महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश जैसे उच्च पदों को सुशोभित किया है, किन्तु संसद, विधानसभाओं और मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है।

गतिविधि :

शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित पदों पर पदस्थापित रही भारत की प्रथम महिलाओं के नाम लिखिए– 1. राष्ट्रपति 2. प्रधानमंत्री 3. राज्यपाल 4. मुख्यमंत्री 5. सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश

अब हम महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सामाजिक और वैधानिक दोनों स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के कारण महिलाओं में गतिशीलता बढ़ी है और अब सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी में वृद्धि हो रही है। धीरे–धीरे सामाजिक धारणाएँ भी बदल रही हैं। आज सेना, पुलिस, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक और विश्वविद्यालयी शिक्षक जैसे पेशों में भी बहुत सी महिलाएँ कार्य कर रही हैं। बहुत–सी महिलाएँ सफलतापूर्वक व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन कर रही हैं।

गतिविधि :

शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित भारतीय महिलाओं की सूची बनाइए–
(अ) प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी (ब) प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ (स) अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध महिलाओं के नाम

महिला–आंदोलन और नारी–उत्थान

महिलाओं ने पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में बराबरी की माँग उठाई। महिला संगठनों ने समाज, विधायिका और न्यायालय का ध्यान इस ओर खींचा। जहाँ कहीं भी महिलाओं के अधिकारों का

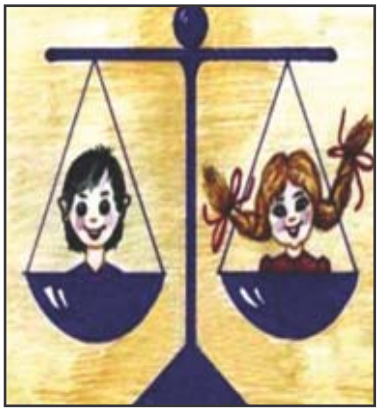

लैंगिक समानता

महिला आंदोलन

www.rajteachers.com

उल्लंघन होता है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। मामले को उचित स्तर पर रखकर न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। महिलाएँ जागरूक और संगठित हुई हैं। महिला–संगठन विधानसभाओं और संसद में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करवाने की माँग प्रमुखता से उठा रहे हैं। महिला संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए अनेक कानून और योजनाएँ बनाई गई हैं। नतीजतन महिलाओं के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है।

गतिविधि :
अपने क्षेत्र की महिला जन प्रतिनिधियों व अन्य क्षेत्रों में कार्यरत प्रमुख महिलाओं की जानकारी प्राप्त करके सूची बनाइए।

सरकारी उपाय

सरकार दो तरह से महिलाओं की प्रगति, सुरक्षा और संरक्षण के कार्य कर रही है– पहला, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं। दूसरा, महिलाओं की प्रगति के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

1. सरकार ने सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध दहेज प्रथा निषेध कानून, बाल विवाह निषेध कानून, सती प्रथा निषेध कानून जैसे कानून बनाकर इन्हें दण्डनीय अपराध घोषित किया है।
2. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बनाया गया है।
3. पंचायतीराज व्यवस्था और नगरीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए राजस्थान में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिए गये हैं।
4. महिला समस्याओं के हल में मदद के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग बनाए गए हैं।
5. सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित कर दिए गए हैं।
6. समान कार्य के लिए समान मजदूरी का कानून बनाया गया है।
7. महिला उत्थान की योजनाएँ–
   - प्रत्येक जिले में महिला थानों और महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों का गठन किया गया है।
   - शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएँ देना तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली लड़कियों को साइकिल देना। शैक्षिक रूप से पिछड़े उपखण्डों में आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

महिला आयोग में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन/हनन् के मामले, घरेलू हिंसा, दहेज, यौन अपराध, पुलिस द्वारा असहयोग, लैंगिक भेदभाव, साइबर अपराध आदि की षिकायत की जा सकती है।

निःशुल्क टेलीफोन नम्बर
1. बाल कल्याण हेल्प लाईन –1098
2. महिला हेल्पलाईन–1090/1095/112

www.rajteachers.com

- रोजगार का प्रशिक्षण देना और रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना ।
- महिला के नाम से सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवाने पर शुल्क में छूट देना।
- गरीब परिवारों को मकान के लिए निःशुल्क जमीन महिला के नाम से आवंटित करना।
- बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए बचत द्वारा धन जुटाने हेतु 'सुकन्या समृद्धि योजना' प्रारम्भ की गई है।
- भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया महिला को बनाना ।
- महिला और बाल कल्याण के लिए 'जननी सुरक्षा योजना' जैसी अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- लिंगानुपात में समानता लाने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाया जा रहा है।

परिवार, समाज एवं देश की प्रगति में महिलाओं व पुरुषों का महत्त्व बराबर है। महिला और पुरुष दोनों की समानता से ही परिवार की खुशहाली और समाज की प्रगति सम्भव है।

गतिविधि :
आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

शब्दावली

परवर्तीकाल	–	बाद का समय या बाद में होने वाला
बाल विवाह	–	लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष होने से पहले ही किया जाने वाला विवाह
जैविक	–	वह बात जो जीव से उत्पन्न होने से संबंधित है
लैंगिक	–	स्त्रीलिंग–पुल्लिंग सम्बन्धी
श्रम विभाजन	–	कार्यों को परस्पर बाँट लेना
लिंगानुपात	–	प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या

www.rajteachers.com

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

   (i) बालक का पहला शिक्षक होता है –

   (अ) परिवार (ब) विद्यालय (स) मित्र (द) माता ( )

   (ii) मीराबाई प्रसिद्ध है –

   (अ) राजनीति के लिए (ब) शासन के लिए

   (स) ईश्वर–भक्ति के लिए (द) इनमें से कोई नहीं ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

   (I) भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया..... होती है।

   (ii) ..... ने सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगवाया।

   (iii) प्रत्येक जिले में महिला ..... और महिला ..... केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

   (iv) ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने.....के समर्थन में जागरूकता पैदा की।

3. प्राचीन काल में समाज में नारी की स्थिति कैसी थी?

4. लैंगिक संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं ?

5. महिला सशक्तीकरण के लिए कौन–कौनसे कानून बनाए गए हैं ?

6. महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दीजिए।

www.rajteachers.com

अध्याय 11

राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है। **हमारा राजस्थान**

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर है। कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं अन्य कारण राजस्थान के विकास में बाधक रहे हैं। फिर भी राजस्थान समग्र विकास के पथ पर अग्रसर है। राजस्थान के विकास हेतु सरकार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, सड़क ,जल, कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी, परिवहन आदि क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग, सेवाओं के साथ–साथ आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही है। इस पाठ में हम राजस्थान के विकास को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत समझ सकते हैं—

1. सामाजिक विकास
2. आर्थिक विकास
3. प्रौद्योगिकी विकास

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न घटकों, जैसे– शिक्षा, चिकित्सा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता आदि के विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से विकास के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के सामाजिक विकास को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत समझ सकते हैं–

www.rajteachers.com

(1) शिक्षा और साक्षरता– शिक्षा सही मायनों मे विकास के महत्वपूर्ण अंशदायी कारकों मे से एक है। शिक्षा लोगों की उत्पादकता और रचनात्मकता में वृद्धि करती है और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है।

राजस्थान राज्य के गठन के बाद से ही राज्य सरकार शैक्षिक संसाधनों का विकास करके शिक्षा का विस्तार कर, राज्य के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के ठोस प्रयास कर रही है। राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं, जैसे–सतत् शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और साक्षर भारत मिशन आदि के माध्यम से सम्पूर्ण साक्षरता और गुणवतापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

राज्य में साक्षरता के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है। सन् 1951 में राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 8.02 था जो 2011 में बढ़कर 66.17 प्रतिशत हो गया है। राज्य में महिला शिक्षा के विस्तार के लिये अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आज बच्चों के निकटतम स्थान पर विद्यालय और पर्याप्त मात्रा में महाविद्यालय भी उपलब्ध हैं। राज्य में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से लागू किया गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक–बालिका के लिये प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। यह अधिनियम शिक्षा के सार्वजनीकरण का सशक्त माध्यम बना है।

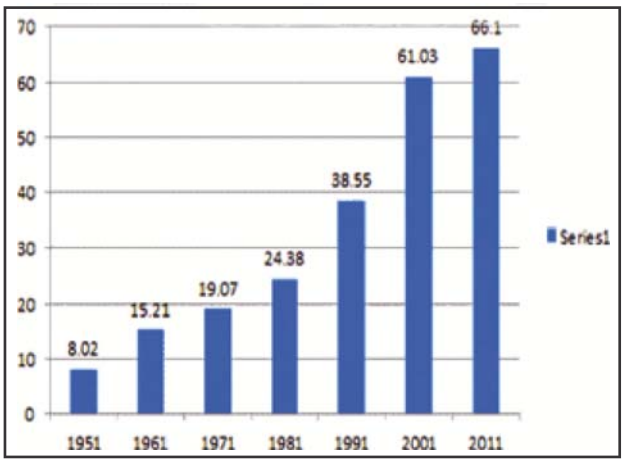

साक्षरता में राजस्थान की प्रगति

राजस्थान में महिला एवं पुरूषों की साक्षरता दर

वर्ष	महिला	पुरूष
1951	2.51	13.09
1961	5.82	23.71
1971	8.46	28.74
1981	11.42	36.30
1991	20.44	54.99
2001	44.34	54.99
2011	52.10	79.20

राजस्थान की साक्षरता दर

शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सार्वजनीकरण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय योजना प्रारम्भ की गई है। इन विद्यालयों में अधिक से अधिक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वजनीकरण की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि के लिए स्टेट इनिशिएटिव फोर क्वालिटी एजुकेशन (एस.आई.क्यू.ई) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य– सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्ति और दूरस्थ क्षेत्रों में भी सस्ती व गुणवत्तापुर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ करवाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के

www.rajteachers.com

फलस्वरूप राज्य में मृत्यु–दर तथा मातृ व शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जाँच योजना, जननी–शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। '108 निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा' व '104 निःशुल्क सेवा' तथा जननी एक्सप्रेस योजना के उपलब्ध होने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच जन साधारण तक हो गई है।

(3) आवास व खाद्य सुरक्षा– मुख्यमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से आवासहीन गरीब परिवारों को सस्ता आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सरकार शौचालयहीन घर वाले गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण करवाने के लिए सहायता दे रही है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजित किए जा रहे हैं।

गतिविधि–

शिक्षक की सहायता से अपने आस–पास रहने वाले परिवारों में निरक्षर एवं कभी विद्यालय नहीं जाने वाले लोगों की सूची बनाइये एवं कारणों को जानकर कक्षा में चर्चा कीजिये।

आर्थिक विकास

हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि एवं ग्राम आधारित है। लगातार पड़ने वाले अकाल एवं सूखे की वजह से राजस्थान की गिनती पिछड़े राज्यों में की जाती थी। राज्य की अर्थव्यवस्था के सुनियोजित विकास को बढावा देने तथा उद्योगों के तीव्र विकास हेतु प्रारम्भ से ही राज्य सरकारें एवं निजी क्षेत्र गम्भीर एवं समर्पित रूप से प्रयासरत रहे हैं। राज्य संगमरमर, खनिज, तांबा, जस्ते की खानों और नमक के भण्ड़ारों के लिये प्रसिद्ध है। राज्य में मुख्यतः खनिज और वस्त्र आधरित उद्योग हैं। राजस्थान देश का द्वितीय सबसे बड़ा पोलिएस्टर फाइबर और सीमेन्ट का उत्पादक राज्य है।

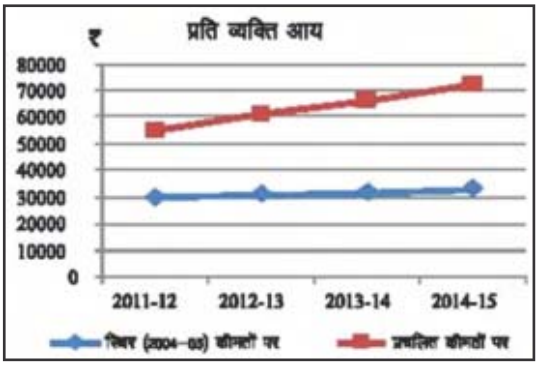

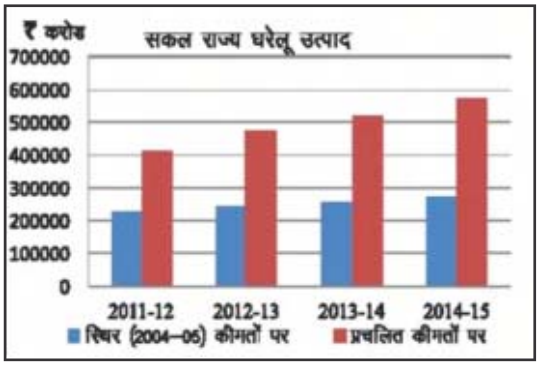

उद्योग विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास, हस्तकला उद्योगों के विकास एवं औद्योगिक गतिविधियों के संचालन में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने और उद्योगों को सहायता तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उद्योगों की स्थापना व अन्य आवश्यक सुविधाएँ व सहायता

www.rajteachers.com

उपलब्ध कराने हेतु राज्य में वर्तमान में 36 जिला उद्योग केन्द्र एवं 7 उप केन्द्र कार्यरत हैं। निवेष संवर्द्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.) राज्य सरकार एवं निवेशकों के मध्य एक समन्वयक की भाँति कार्य करते हुए परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिलवाने हेतु तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सेवाएँ प्रदान कर रहा है। अधिक निवेश को आकर्षित करने एवं विभिन्न योजनाओं में नीति सम्बन्धी सहयोग के लिये उद्योग विभाग ने ''अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम'' के साथ नॉलेज पार्टनरशिप समझौता किया है।

खनिज एवं उद्योग : राज्य में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे– जैव प्रौद्योगिकी, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, चमड़ा, कपड़ा, परिशुद्ध घटक, गृह उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.),सौर ऊर्जा एवं ऑटोमोबाइल उद्योगों के विकास में तेजी लाने के लिये रीको द्वारा विशिष्ट पार्क यथा–एग्रो फूड पार्क, नीमराना में जापानी पार्क आदि विकसित किये गये हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिये ये सभी उपाय अभिनव एवं प्रभावी हैं।

कपड़ा उद्योग

ऊर्जा : 1947 में केवल कुछ ही शहर ऐसे थे जिनको बिजली मिलती थी। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों तक विद्युत की पहुँच के कारण आज स्थिति बहुत भिन्न है। इस विषय में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विद्युत ऊर्जा उत्पादन की मुख्य प्रयोजनाओं में राजस्थान आण्विक ऊर्जा परियोजना–रावतभाटा ; कोटा और सूरतगढ़ तापीय परियोजनाएँ ; धौलपुर गैस आधारित तापीय परियोजना ; माही जल विद्युत परियोजना है। भाखड़ा, व्यास, चम्बल और सतपुड़ा अन्तरराज्यीय भागीदारी वाली परियोजनाएँ हैं। केन्द्रीय सेक्टर से राज्य को सिंगरोली, रिहन्द, अन्ता, औरेया, दादरी गैस संयंत्र, टनकपुर, उरी हाइड्रल परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त हो रही है। राजस्थान में ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों में वृद्धि होती जा रही है। बाडमेर एंव जैसलमेर जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होने से राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है।

सौर उर्जा संयत्र

गतिविधि–

ऊर्जा के परम्परागत व गैर परम्परागत स्रोतों की तालिका बनाइए।

www.rajteachers.com

जयपुर मेट्रो

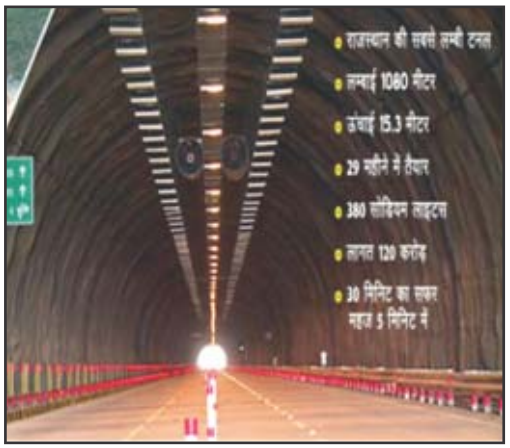

बूंदी टनल (सुरंग)

परिवहन : राज्य में सड़कों व रेल मार्गों का विस्तार हुआ है तथा परिवहन के साधनों में वृद्धि होती जा रही है। एक्सप्रेस हाईवे और मेगा हाईवे का विस्तार होता जा रहा है। बड़ी व विद्युतिकृत रेल लाईनों के विस्तार का कार्य प्रगृति पर है।

राज्य में उद्योगों के विकास हेतु नई निवेश प्रोत्साहन नीति जारी की गई है। दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डी.एम.आई.सी.) का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य से होकर गुजरेगा। इस कॉरीडोर के विकास के साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास को नए पंख लग जाएँगे। राज्य में निजी निवेष के प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर निवेश प्रोत्साहन सम्मेलन आयोजित कर उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा ही एक सम्मेलन 'रिसर्जेण्ट राजस्थान' 19 व 20 नवम्बर 2015 को जयपुर में आयोजित हुआ जिसमें देश–विदेश के अनेक बड़े उद्योगपति सम्मिलित हुए। उन्होंने राजस्थान में पूँजी निवेश करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ खरबों रुपयों के निवेश समझौते किए हैं। इस निवेशों के साकार होने पर राजस्थान की काया पलट हो जाएगी।

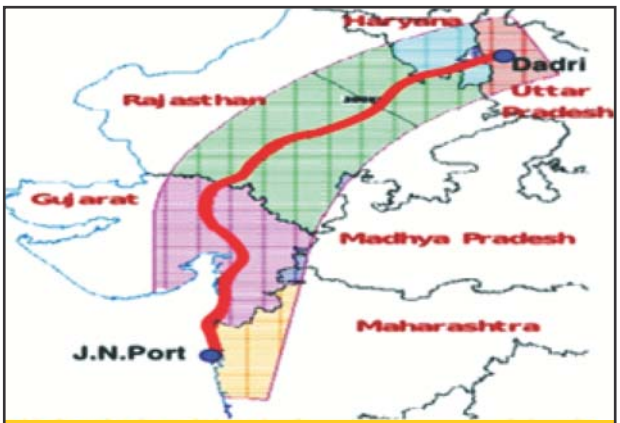

दिल्ली–मुम्बई कॉरीडोर योजना

इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए इंग्लैंड व जापान से साझेदारी!

नीमराना के निकट घिलोट में प्रस्तावित है दूसरा जापानी जोन और दक्षिण कोरियाई जोन

जापान के लिए राजस्थान फोकस स्टेट

भिवाड़ी, खुशखेड़ा, नीमराना बनेंगे वर्ल्ड क्लास सिटी

www.rajteachers.com

दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (DMIC)

दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) परियोजना के अन्तर्गत इस योजना में शामिल किए गए क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक नगर, आबादी क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, ऊर्जा संयंत्र, नॉलेज सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट व अन्य परिवहन सेवाएँ और अन्य सम्बद्ध सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं और डी.एम.आई.सी.विकास निगम के माध्यम से 1000 मेगावाट क्षमता के गैस आधारित पावर प्लान्ट व कौषल विकास केन्द्रों को विकसित करने के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। प्रथम चरण में खुशखेड़ा–भिवाड़ी– नीमराणा क्षेत्र में निवेश कर विकास किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी विकास

कम समय एवं कम खर्च में प्रकृति में निहित संसाधनों के उपयोग के तरीके खोजना प्रौद्योगिकी विकास कहलाता है। किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के प्रौद्योगिकी विकास से जाना जा सकता है। क्षेत्र के कच्चे माल एवं संसाधनों का उपयोग तकनीकी विकास पर निर्भर करता है।

राजस्थान में प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए 'राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय' की स्थापना की गई है। अनेक इंजिनियरिंग और प्रबंधन महाविद्यालयों की स्थापना हुई है। इन संस्थानों में राजस्थानी युवा बड़ी मात्रा में तकनीकी और प्रबंधन की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फलस्वरूप राज्य में तकनीकी व प्रबंधन में दक्ष लोगों की उपलब्धता बढ़ती जा रही है, जो कि विकास की एक मुख्य जरूरत है। राज्य में 'सूचना प्रौद्योगिकी पार्क' एवं 'नॉलेज कॉरीडोर' की स्थापना की योजनाओं पर भी कार्य हो रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा राजकीय विभागों में ई–गवर्नेन्स की सफलता सुनिश्चित करने के लिये राजकीय अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। आधार कार्ड योजना में पंजीकरण करवाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार राज्य में निवास के समीप राजकीय सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 11000 से अधिक ई–मित्र कियोस्क कार्यरत हैं। राजकीय सेवाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने एवं जनता की शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल www.sampark.rajasthan.gov.in का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

राजस्थान में विकास हेतु वर्तमान में नई उर्जा नीति, नवीन खनिज नीति, पर्यटन नीति बनाई गई है। राजस्थान में निवेश को आमन्त्रित करने के प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार सम्भावना है। जोधपुर, नागौर, बीकानेर में सौर ऊर्जा तथा बाडमेर और जैसलमेर में तेल व गैस के भण्डारों के विकास से एवं दिल्ली–मुंबई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर के एक बड़े भाग के राजस्थान से जुड़े होने से राज्य में विकास और रोजगार के नये अवसर पैदा हो रहे हैं।

गतिविधि

इस पाठ में आए हुए चित्रों तथा रेखाचित्रों के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर के कक्षा में चर्चा कीजिए ।

www.rajteachers.com

शब्दावली

1. प्रौद्योगिकी : उद्योग एवं तकनीक का सम्मिलित रूप
2. कोरीड़ोर : गलियारा
3. निवेश : किसी उद्योग या धंधे में लाभ प्राप्ति हेतु धन लगाना।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(I) क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है–

(अ) पहला (ब) दूसरा (स) छठा (द) दसवाँ ( )

(ii) 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है–

(अ) 60.1 प्रतिशत (ब) 62.1 प्रतिशत

(स) 64.1 प्रतिशत (द) 66.1 प्रतिशत ( )

(iii) राज्य में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' लागू किया गया–

(अ) 1 अप्रेल 2009 (ब) 1 अप्रेल 2010

(स) 1 अप्रेल 2011 (द) 1 अप्रेल 2012 ( )

(iv) राजस्थान में मेट्रो रेल शुरू हुई है–

(अ) जोधपुर में (ब) जयपुर में

(स) उदयपुर में (द) कोटा में ( )

2. सामाजिक विकास के आवश्यक घटक कौन–कौन से हैं?
3. राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिये क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?
4. तकनीकी विकास के कोई दो उदाहरण दीजिए।
5. राजस्थान में कौन–कौन से उद्योगों का विकास हुआ है ?
6. प्रौद्योगिकी विकास पर टिप्पणी लिखिए।
7. राजस्थान में शिक्षा एवं साक्षरता पर टिप्पणी लिखिए।
8. राज्य के आर्थिक विकास पर एक निबन्ध लिखिए।

www.rajteachers.com

अध्याय 12

राज्य सरकार

भारत गणराज्य 29 राज्यों (प्रांतीय संघीय इकाईयों) और 7 केन्द्रशासित संघ राज्य क्षेत्र (Union territories) का एक संघ (Union)है। भारत सरकार ही संघ या केन्द्र सरकार (union government) के नाम से जानी जाती है। आप यह पढ़ चुके हैं कि भारत के मतदाता तीन स्तरों की सरकार को चुनते हैं– (1) अपने शहर के नगरीय निकाय अथवा अपने ग्रामीण क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं को, (2) अपने राज्य की सरकार को और (3) देश की संघ सरकार को। प्रत्येक सरकार का कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना–अपना क्षेत्र होता है।

सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने आदि कार्यों की जिम्मेदारी होती है। सरकार में सम्मिलित कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, तो कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समाधान के लिए न्यायालय की व्यवस्था है। उपरोक्त सब कार्यों को करने के लिए राज्य में संस्थाएँ होती हैं। राज्य की सरकार की बात करें तो –

1. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् अपनी बैठकों में नीतिगत फैसले लेते हैं।
2. उनके फैसलों को लागू करने के लिए नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं।
3. उच्च न्यायालय नागरिक व सरकार के बीच के विवाद को सुलझाता है।
4. संस्थाओं के साथ नियम–कानून जुड़े होते हैं। नियम–कानूनों के अन्तर्गत ही संस्थाओं को कार्य करना होता है।

भारत का संविधान

भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण
प्रभुत्व–सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
के लिये तथा उस के समस्त नागरिकों को:
सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार,अभिव्यक्ति,विश्वास धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता
बढ़ाने के लिये
दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष
शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को
एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधि-
नियमित और आत्मार्पित करते हैं।

www.rajteachers.com

सरकार की शक्तियों का बँटवारा

भारतीय संविधान में राज्य सरकार के गठन, कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। संविधान ने सरकार की शक्तियों एवं कार्यों को संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से बाँट दिया है। यह बँटवारा तीन प्रकार की सूचियों में वर्णित किया गया है –

1. प्रथम सूची 'संघसूची' या केन्द्रीय सूची कहलाती है। इस सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के 97 विषय शामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केन्द्र सरकार अर्थात् भारत सरकार को दी गई है।

संघ सूची के विषय

2. द्वितीय सूची 'राज्यसूची' कहलाती है। इस सूची में पुलिस, स्थानीय व्यापार व वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे स्थानीय महत्त्व के 66 विषय षामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों की सरकारों को दी गई है। राज्य सरकार इनमें से अनेक कार्य स्थानीय निकायों की सहायता से करती है।

www.rajteachers.com

3. तृतीय सूची 'समवर्तीसूची' कहलाती है। इस सूची में षिक्षा, वन, मजदूर–संघ, विवाह–विधि आदि 47 विषय शामिल हैं। इन विषयों पर केन्द्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। परन्तु केन्द्र के कानून को सर्वोच्चता प्रदान की गई है।

4. शेष बचे हुए विषयों की शक्ति केन्द्र सरकार को दी गई है जिन्हें हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। अब हम राज्य सरकार के गठन पर चर्चा करेंगे।

राज्य सरकार के अंग

राज्य सरकार की शक्तियाँ उसके तीन अंगों में बँटी हुई हैं। ये तीन अंग इस प्रकार से हैं :–

राज्य सरकार का ढाँचा

1. कार्यपालिका

राजनीतिक कार्यपालिका
1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

↓

स्थायी कार्य–पालिका
(सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी)

2. विधायिका

1. राज्यपाल
2. विधानसभा एवं विधानपरिषद्

3. न्यायपालिका

उच्च न्यायालय

↓

अधीनस्थ न्यायालय

अब हम प्रमुखतः राजस्थान–सरकार के सन्दर्भ में सरकार के इन अंगों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं–

1. कार्यपालिका :

राजनीतिक कार्यपालिका– राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों का निकाय होता है। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, जो सरकार चलाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करते हैं।

www.rajteachers.com

स्थायी कार्यपालिका– वे लोग जो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते, बल्कि उन्हें सरकार लम्बे समय तक के लिए नियुक्त करती है, जैसे कि सचिव व अन्य प्रशासनिक अधिकारी, इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ये लोकसेवक राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में काम करते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

राज्यपाल–

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्य सरकार की सारी गतिविधियाँ राज्यपाल के नाम से संचालित होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परन्तु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रह सकता है।

ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, वह किसी विधायिका का सदस्य न हो तथा सरकारी और लाभकारी पद पर न हो– वह राज्यपाल के पद के योग्य होता है।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों को मुख्यतः चार भागों में बाँट कर अध्ययन कर सकते हैं :–

1. **कार्यपालिका शक्तियाँ** : ये वे कार्य हैं, जिन्हें राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के अंग के रूप में सम्पन्न करता है।

(I) राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

(ii) राज्य की कार्यपालिका–शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। राज्य में सभी प्रमुख पदों पर नियुक्तियाँ राज्यपाल के नाम पर ही की जाती है। लेकिन वह इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही करता है।

(iii) राज्यपाल मंत्रिपरिषद् से किसी भी मामले पर सूचना माँग सकता है।

(iv) राज्यपाल समय–समय पर राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति की सूचना केन्द्र सरकार को भेजता रहता है।

2. **विधायी शक्तियाँ** : ये वे कार्य हैं, जिनका सम्पादन राज्यपाल राज्य की विधायिका के अंग के रूप में सम्पन्न करता है।

(i) वह राज्य विधायिका के सत्र को आहूत करता है और प्रथम सत्र को सम्बोधित करता है।

(ii) विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बन सकता है।

(iii) वह विधायिका के समक्ष बजट रखवाता है।

(iv) राज्यपाल की स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

3. **आपातकालीन शक्तियाँ** : ये वे शक्तियाँ हैं, जिनका प्रयोग राज्यपाल निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में करता है।

4. **न्यायिक शक्तियाँ** : राज्यपाल किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित कर सकता है तथा उसे क्षमा भी कर सकता है।

www.rajteachers.com

आइए, अब हम मंत्रिपरिषद् पर चर्चा करें–

मंत्रिपरिषद्

मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद् के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद् राजधानी जयपुर में स्थित 'सचिवालय भवन' से राज्य के शासन का संचालन करती है। सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री की सहायता के लिए सचिव होते हैं। वे नौकरषाह होते हैं। वे मंत्री को सूचनाएँ उपलब्ध करवाते हैं और निर्णय लेने में मंत्री की सहायता करते हैं। नौकरशाह मंत्रिपरिषद् के निर्णयों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबन्धन का नेता होता है। वह मंत्रियों की सहायता से सरकार चलाता है। मंत्री उसकी ही पार्टी अथवा उसकी सहयोगी पार्टियों के विधायक होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रीपरिषद् का मुखिया होता है।

वास्तव में राज्य के शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद् द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद् अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था 'विधानसभा' के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होने तक ही वह अपने पद पर बना रह सकता है।

www.rajteachers.com

मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य –

1. वह मंत्रियों में कार्यों का बँटवारा करता है।
2. वह विभिन्न विभागों के कार्यों की निगरानी करता है और उनके कार्यों का समन्वय करता है। सभी मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं।
3. वह मंत्रीमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
4. बहुमत दल का नेता होने के कारण वह विधानसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य करता है।

अब हम राज्य विधायिका की चर्चा करेंगे–

2. राज्य विधायिका

मुख्य रूप से विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। हमारे राजस्थान राज्य में विधायिका एक सदनात्मक है। यहाँ एक ही सदन अर्थात् 'विधानसभा' विद्यमान है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश और जम्मू–कश्मीर राज्यों में विधायिका द्विसदनात्मक है। वहाँ दूसरा सदन 'विधानपरिषद्' भी विद्यमान है।

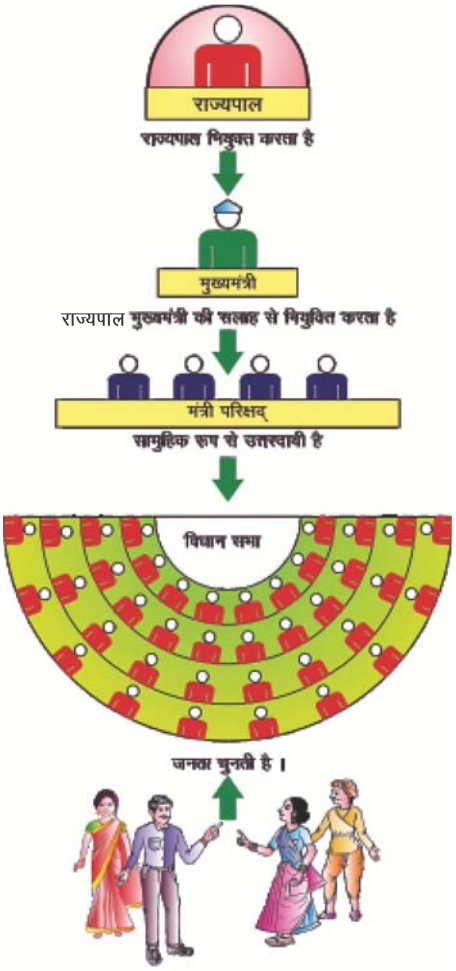

राज्य सरकार का गठन

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

राजस्थान राज्य की विधानसभा के 200 निर्वाचन क्षेत्र

www.rajteachers.com

विधानसभा का गठन

विधानसभा राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सभा होती है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र : यदि हम राजस्थान राज्य के संदर्भ में बात करें, तो हमारी विधानसभा के गठन हेतु पूरे राजस्थान राज्य को 200 क्षेत्रों में बाँटा गया है। ऐसा प्रत्येक क्षेत्र 'विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र' कहलाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से उस क्षेत्र के मतदाता अपना विधायक चुनते हैं। इनमें से 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति और 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।

विधायक : प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपने मत के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। यह निर्वाचित प्रतिनिधि 'विधायक' (एम.एल.ए.) के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या 200 निर्धारित है। विधायक बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो, वह संघ या राज्य में लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया घोषित न हो।

विधानसभा की बैठकें :विधानसभा की बैठकें वर्ष में कम से कम तीन बार होती हैं। ये बैठकें राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित विधानसभा भवन में सम्पन्न होती हैं। विधायक अपने में से ही किसी एक विधायक को अध्यक्ष तथा एक अन्य विधायक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। विधान सभा की कार्यवाही का संचालन विधानसभा का अध्यक्ष करता है।

राजस्थान विधानसभा, जयपुर

www.rajteachers.com

विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ –

विधानसभा राज्य की जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। विधानसभा अपनी बैठकों में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करती है–

1. **विधायी कार्य** : कानून बनाने से संबन्धित कार्य विधायी कार्य कहलाते हैं। राज्य की विधानसभा इस पाठ के आरम्भ में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। वह मौजूदा कानून को संशोधित भी कर सकती है और उसे निरस्त भी कर सकती है। वह संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन की प्रक्रिया में भी भाग लेती है।

2. **वित्तीय कार्य** : राज्य सरकार के धन संबंधी कार्यों पर विधानसभा का नियंत्रण होता है। सरकार अपने द्वारा प्रस्तावित बजट को विधानसभा से स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् ही वह जनता से कर वसूल सकती है और उसे खर्च कर सकती है।

3. **सरकार पर नियन्त्रण** : कार्यपालिका अर्थात् सरकार चलाने वाला निकाय विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। विधानसभा में सार्वजनिक मसलों और सरकार की नीतियों पर बहस होती है।

   विधानसभा की बैठकों में विधायक मंत्रीपरिषद् से सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछते हैं और उनसे सूचना माँग सकते हैं। बैठक के दौरान वे 'काम रोको' प्रस्ताव द्वारा किसी भी समय सरकार से किसी मुद्दे पर बयान की माँग कर सकते हैं। विधानसभा कार्यपालिका के संबंध में 'निन्दा' प्रस्ताव भी ला सकती है। सरकार विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होने तक ही कार्य कर सकती है। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित होने पर मंत्रीपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।

4. **निर्वाचन कार्य** : विधानसभा के सदस्य अर्थात् विधायक निर्वाचक मंडल के सदस्य भी हैं। वे राष्ट्रपति और राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। वे सदन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करते हैं।

विधान परिषद् का गठन और शक्तियाँ–

विधानपरिषद् राज्य व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन होता है। यह एक स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं हो सकता। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत हो जाते हैं। विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होती है। ये सदस्य स्थानीय स्वशासन की इकाईयों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय स्नातकों के प्रतिनिधि होते हैं।

विधानपरिषद् साधारण विधेयक पर संशोधन प्रस्तावित कर सकती है और अनुमोदन की प्रक्रिया को विलम्बित कर सकती है। धन विधेयक परिषद् द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। विधानपरिषद् बहस और प्रश्नों द्वारा मंत्रीमण्डल के सदस्यों पर नियंत्रण रख सकती है। वर्तमान में राजस्थान राज्य में विधान परिषद् विद्यमान नहीं है।

www.rajteachers.com

3. न्यायपालिका

देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र संस्था होती है। भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) नई दिल्ली में स्थित है। राज्यों की सबसे बडी अदालत उच्च न्यायालय होती है। राजस्थान का उच्च न्यायालय (High Court) जोधपुर में स्थित है। इसकी एक पीठ (Bench) जयपुर में भी है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। उसके अधीन जिला एवं स्थानीय न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है :–

1. राज्य के नागरिकों के बीच का विवाद
2. नागरिक और सरकार के बीच का विवाद
3. अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील

गतिविधि :

शिक्षक एवं अभिभावकों की सहायता से निम्नलिखित जानकारी जुटाइए–

1. भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का नाम –
2. राजस्थान के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का नाम –
3. राज्य के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के नाम –
4. आपके क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम –
5. आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक का नाम –
6. राजस्थान की राजधानी का नाम –

शब्दावली

- संघ राज्य क्षेत्र – भारतीय गणराज्य की वह इकाई जो सीधे केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित है ।
- आहूत करना – बैठक बुलाना ।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

(i) राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है –

(अ) मुख्यमंत्री (ब) प्रधानमंत्री (स) राष्ट्रपति (द) राज्यपाल ( )

(ii) राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है –

(अ) 250 (ब) 545 (स) 200 (द) 66 ( )

www.rajteachers.com

(iii) राज्य के मतदाता मतदान करते हैं–

(अ) स्थानीय निकाय के चुनाव में (ब) राज्य विधानसभा के चुनाव में

(स) देश की लोकसभा के चुनाव में (द) तीनों में ही ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

(i) ..... राज्य की मंत्री परिषद् का मुखिया होता है।

(ii) मंत्री की सहायता के लिए विभाग में ..... होते हैं।

(iii) राजस्थान की विधायिका ..... सदनात्मक है।

(iv) राजस्थान का उच्च न्यायालय ..... में स्थित है।

3. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए –

(अ) स्तम्भ 'अ'–विषय	**स्तम्भ 'ब'–सूची**
(I) प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार	समवर्ती सूची
(ii) पुलिस, कृषि, सहकारिता	संघ सूची
(iii) शिक्षा, वन, मजदूर–संघ	राज्य सूची

(ब) स्तम्भ 'अ'	**स्तम्भ 'ब'**
(I) मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	न्यायपालिका
(ii) विधानसभा	कार्यपालिका
(iii) उच्च न्यायालय	विधायिका

4. राज्य सरकार के तीन अंग कौन–कौन से हैं ?

5. कार्यपालिका में कौन–कौन सम्मिलित होते हैं ?

6. मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।

7. विधानसभा के विधायी कार्यों का वर्णन कीजिए।

www.rajteachers.com

अध्याय 13

सरकार और लोक कल्याण

बहुत लम्बे समय तक यह माना जाता रहा कि बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, राष्ट्र के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा नागरिकों के विवादों का समाधान करना– एक देश की सरकार के प्रमुखतः यही कार्य होते हैं। इन कार्यों को करने के लिए सरकार के पास सेना, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था होती है। समय गुजरने के साथ–साथ यह समझा जाने लगा कि सरकार जन कल्याण के कार्य भी करे, अर्थात् ऐसे कार्यक्रम और योजनाएँ चलाए जिनसे सभी नागरिकों का जीवन सुखी हो और उनमें समानता स्थापित हो। ऐसी योजनाओं तक सभी की पहुँच होनी चाहिए। लोगों को भय, भूख और भेदभाव से मुक्ति मिले। भारतीय संस्कृति में प्रजा के शिक्षण, रक्षण और भरण–पोषण का कर्त्तव्य सरकार का माना गया है।

इस प्रकार 'लोक कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा के परिणामस्वरूप राज्य के कार्यों में बड़ी मात्रा में ऐसे कार्य जुड़ गए, जिनका संबंध नागरिकों के जीवन को सुखी बनाने के साधन उपलब्ध करवाने से हैं। लोक कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करती है।

लोक–कल्याण लोकतांत्रिक सरकार द्वारा ही संभव है। आजकल की अधिकांश सरकारें लोकतांत्रिक एवं जनकल्याणकारी सरकारें होती हैं। सरकार का प्रत्येक स्तर लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करता है। न्यूनतम् जीवन–स्तर की गारण्टी, शिक्षा, आजीविका कमाने के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण– ये बातें एक लोक कल्याणकारी सरकार के कर्त्तव्य समझी जाती हैं। एक अच्छे शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।

भारत एक लोककल्याणकारी राज्य

स्वतंत्रता के पष्चात् भारत के संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया है। संविधान ने सरकार को यह जिम्मेदारी दी है कि वे ऐसे कार्यक्रम और योजनाएँ संचालित करेगी जिनसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो। भारतीय संविधान के भाग चार में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सरकार की इन जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है, जिनसे लोक कल्याण हो। सरकार से यह आशा रखी गई है कि वह इन जिम्मेदारियों को निभाएगी।

आजादी के बाद से ही भारत सरकार और राज्यों की सरकारों ने अनेक ऐसे कानून बनाए और कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिनका उद्देश्य लोक कल्याण रहा है। भोजन, आवास, स्वास्थ्य–सुविधाएँ, शिक्षा व रोजगार से संबंधित ऐसी अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

अब हम प्रमुखतः हमारे राजस्थान राज्य के संदर्भ में वर्तमान समय में संचालित इस प्रकार के प्रमुख कार्यकर्मों और कुछ कानूनों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

www.rajteachers.com

लोक कल्याणकारी कार्यक्रम

सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएँ दो प्रकार की होती हैं– प्रथम वे, जो कि सभी नागरिकों के लिए होती हैं तथा दूसरी वे, जो किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए होती हैं, जैसे–'निर्धन रेखा से नीचे '(बी.पी.एल.) जीवन जीने वाले वर्गों के लिये योजनाएँ। राजस्थान सरकार राज्य में दोनों ही प्रकार के कार्यक्रम संचालित कर रही है। इनमे से अनेक कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित हैं।

(1) शिक्षा–व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा का महत्त्व सर्वाधिक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को एक नागरिक अधिकार का दर्जा दिया है। इसके लिए 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम' बनाया गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और विशेष योग्यजन वर्ग के विद्यार्थियों, अनाथ विद्यार्थियों तथा अन्य प्रतिभावान् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। शिक्षा में पिछड़े उपखण्डों में 'कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय' और 'स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल' भी संचालित किए जा रहे हैं तथा राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए ' शारदे बालिका छात्रावास' संचालित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 'स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल' चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जा रहे हैं। केंदीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध इन विद्यालयों में 6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित होती है। कक्षा 9 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराया जाता है तथा कक्षा 6 से 8 में भी अंग्रेजी शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु ये विद्यालय सभी संसाधनों से सुसज्जित हैं, जैसे– सुविकसित खेल मैदान, आई.सी.टी.लैब, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय व वाचनालय, अंग्रेजी शिक्षण हेतु लिंग्वा लैब, के–यान आदि। इन विद्यालयों का संचालन पूर्ण रूप से केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर किया जाता है। राजस्थान को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में ये विद्यालय मील का पत्थर साबित होंगे।

www.rajteachers.com

गतिविधि–
आपके विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(2) खाद्य सुरक्षा–लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिकों को सम्मानपूर्वक दो वक्त का भोजन प्राप्त हो। 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (पी.डी.एस.) के माध्यम से सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (जो कि 'अंत्योदय योजना' में चयनित हैं या बी.पी.एल. वर्ग से संबंधित हैं) और अन्य समूहों को सस्ती दरों पर गेंहूँ, चीनी आदि खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है। उचित मूल्य पर केरोसिन भी उपलब्ध करवाया जाता है। निजी सहभागिता के माध्यम से आम लोगों को उचित मूल्य की दुकानों पर उच्च गुणवत्ता की अनेक वस्तुएँ भी उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाने लगी हैं। सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

गतिविधि–अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से तथा अपनी ग्राम पंचायत से विभिन्न खाद्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(3) चिकित्सा–यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावी और सस्ती हों तथा सबकी पहुँच में हों। राजस्थान सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जाँच योजना' के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों में रोगियों को निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा अधिकतर चिकित्सा जाँचें भी निःशुल्क की जाती हैं। पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

टॉल फ्री '104' टेलिफोन नम्बर पर कोई भी नागरिक स्वास्थ्य समस्या के समाधान हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त कर सकता है तथा इसी नम्बर पर जननी व शिशुओं के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। एक अन्य '108' नम्बर पर भी निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध करवायी जा रही है। 'जननी व शिशु सुरक्षा' योजना के अन्तर्गत माता व शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

गतिविधि–
अपने क्षेत्र के राजकीय चिकित्सा केंद्र का भ्रमण कर स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

www.rajteachers.com

सबके लिए आवास

(4) आवास–मानव के जीवन निर्वाह के लिए आवास मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। एक साधारण नागरिक को अपना मकान उपलब्ध होने से महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। सरकार का निश्चय है कि आने वाले समय में कोई भी परिवार आवासहीन नहीं रहे। इसके लिए अनेक योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। आवासहीन चयनित ग्रामीण गरीब परिवारों को 'मुख्यमंत्री आवास योजना' और 'इन्दिरा आवास योजना' में निःशुल्क भूखण्ड व आवास निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना' में आवासहीन गरीब परिवारों को वहनीय मूल्य पर आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है।

गतिविधि–

अपने क्षेत्र की ग्राम–पंचायत या नगरीय निकाय से विभिन्न आवासीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

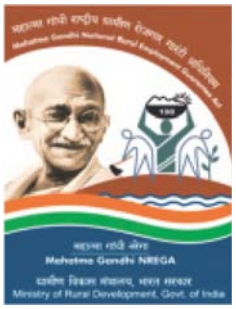

(5) रोजगार–'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम' (महात्मा गाँधी नरेगा) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत अकुशल श्रमिक द्वारा रोजगार की माँग करने पर उसके घर के निकट ही वर्ष में न्यूनतम् 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। पन्द्रह दिनों में रोजगार उपलब्ध न हो सकने पर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के द्वारा रोजगार के साथ–साथ ही क्षेत्रीय विकास के अनेक कार्य भी सम्पन्न हो पा रहे हैं। इन कार्यों से सृजित सम्पत्तियों का अभिलेखों से मिलान कर के ग्राम–सभा द्वारा वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है।

राज्य में जगह–जगह रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं, जिनमें युवाओं में कौशल विकास के लिए विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। अनेक प्रसिद्ध औद्योगिक प्रतिष्ठान भी कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। समय–समय पर जिले में रोजगार शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें रोजगार और प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएँ एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाता है।

गतिविधि –

1. अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से रोजगार प्रशिक्षण व रोजगार योजना की जानकारी प्राप्त कीजिए।
2. आपके ग्राम–पंचायत क्षेत्र में महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की सूची बनाइये।

www.rajteachers.com

(6) श्रम कानून– मजदूरों एवं कामगारों को शोषण से बचाने के लिए उनके काम के घण्टे और न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। उन्हें साप्ताहिक अवकाश का अधिकार भी दिया गया है। उनके श्रम संबंधी विवादों के समाधान के लिए श्रम कानून बनाए गए हैं।

(7) सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवम् बीमा योजनाएँ– वृद्धजन, एकल महिलाओं, विशेष योग्यजनों व अन्य चयनित जरूरतमन्दों को सरकार द्वारा हर महीने पेंशन प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य–बीमा एवं दुर्घटना–बीमा द्वारा भी सुरक्षा प्रदान की जा रही हैं। किसानों की फसलों के लिए 'फसल मौसम बीमा' प्रदान किया जा रहा है।

(8) भामाशाह योजना– यह वित्तीय समावेशन हेतु एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला को परिवार का मुखिया बनाकर परिवार के सदस्यों का नामांकन किया जाता है। सदस्यों का बैंक में खाता भी खुलवाया जाता है। इससे महात्मा गाँधी नरेगा मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि, छात्रवृत्ति राशि एवं अन्य योजनाओं का धन सीधे व शीघ्रता से खाताधारक के खाते में जमा करवाने की सुविधा मिल जाती है। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस योजना में उन्हें स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थापित 'अटल सेवा केन्द्र' पर मिनी बैंकिंग सेवाएँ भी उपलब्ध हैं।

> **गतिविधि–**
> अपनी ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय से भामाशाह योजना की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(9) 'ई–गवर्नेन्स'–नागरिक बिना सरकारी कार्यालय में जाए अपने घर के नजदीक ही या घर बैठे भी अपना काम करवा सके, इसके लिए इण्टरनेट प्रणाली पर आधारित 'ई–गवर्नेन्स' व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। राज्य में इसके लिए निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्था स्थापित की गई है :–

1. अनेक सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जगह–जगह 'ई–मित्र केन्द्र' स्थापित किये गए हैं।
2. ग्राम–पंचायत स्तर पर स्थित 'अटल सेवा केन्द्र' पर ई–मित्र व मिनी बैंकिंग जैसी अनेक सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
3. पंचायत समिति मुख्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय में 'सूचना कियोस्क' (टच स्क्रीन कियोस्क) स्थापित किए गए हैं। इसके द्वारा सरकारी सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। सरकारी विभागों को अपने सुझाव और शिकायतें भी भेजी जा सकती हैं।
4. इण्टरनेट के माध्यम से 'राजस्थान सम्पर्क' पोर्टल पर किसी भी विभाग को शिकायत या समस्या भेजी जा सकती है व सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। इसके जरिये प्रशासन सम्बन्धी अनेक सूचनाएँ भी प्राप्त की जा सकती हैं।

www.rajteachers.com

5. करीब–करीब सभी विभागों में समस्याएँ दर्ज करवाने के लिए 'टोल फ्री' टेलीफोन सेवा प्रारम्भ कर दी गई है।

6. कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिये 'डिजिटल इण्डिया' अभियान चलाया जा रहा है ।

गतिविधि–
अपने नजदीक के 'ई–मित्र केन्द्र' या 'अटल सेवा केन्द्र' पर जाकर वहाँ उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए।

लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इससे सम्बन्धित कई कानूनी प्रावधान भी मौजूद हैं। आइए, अब हम इनकी चर्चा करें–

लोक कल्याण एवं सरकार की जवाबदेही

योजनाओं की क्रियान्विति सुचारू रूप से हो तथा उनका लाभ उन लोगों को मिले जिनके लिए उन्हें लागू किया गया है, यह सुनिश्चित हो, इसके लिए दो बातों का होना जरूरी है। एक तो यह कि जनता में पर्याप्त जागरूकता हो और वह सरकार के काम–काज पर नजर रखें। दूसरा यह कि लोगों को इन योजनाओं तथा इनके क्रियान्वयन संबंधी सूचना व हिसाब–किताब की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। अतः सरकार ने लोक सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने और प्रशासन को संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण अधिनियम पारित किए हैं।

1. **सूचना का अधिकार अधिनियम**–देश में सरकार से जुड़ी हुई जानकारी लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। सही सूचना की उपलब्धता जीवन का आधार बनती है। सूचना के अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान का योगदान देश में महत्त्वपूर्ण रहा है। यहाँ के लोगों ने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए एक लम्बे समय तक आंदोलन किया और यह अधिकार हासिल किया। इसके लिए सन् 2000 में राजस्थान में तथा सन् 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने। इन कानूनों के बन जाने पर कोई भी नागरिक सरकार की नीति, योजना, कार्य एवं हिसाब–किताब से सम्बन्धित रिकॉर्ड की सूचना सरकार के संबंधित विभाग से माँग सकता है। माँग करने पर उसे एक निश्चित समय में सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया बड़ी सरल है। इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं से हमें सरकार के कार्यों की और हिसाब–किताब की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त होती है। यदि कहीं किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार है, तो इस संबंध में शिकायत की जा सकती है।

2. **राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2011**– इस अधिनियम के द्वारा 18 सरकारी विभागों के 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें मुख्य है– ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, स्थानीय निकाय, खाद्य एवं आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि। इन विभागों की विभिन्न लोकसेवाओं को नागरिकों को उपलब्ध करवाने की एक अवधि निश्चित कर

www.rajteachers.com

दी गई है। यदि उस निश्चित अवधि में नागरिक को वह सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो शिकायत करने पर संबंधित लोक सेवक अधिकारी अथवा कर्मचारी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। इस तरह सेवाओं को शीघ्रता से उपलब्ध करवाने के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार बनाया गया है और भ्रष्टाचार तथा लेट–लतीफी की स्थिति पर अंकुश लगाया गया है।

3. **राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम**– अगस्त 2012 से इस अधिनियम को पूरे राज्य में लागू किया गया है। राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम या योजना तथा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही लोक सेवा के सम्बन्ध में आम जनता की शिकायतों तथा समस्याओं के निराकरण हेतु इस अधिनियम के द्वारा पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ग्राम पंचायत से लेकर संभाग स्तर तक प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता की शिकायतें सुनने के लिए लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी विभाग की शिकायत या समस्या ग्राम पंचायत स्तर के लोक सुनवाई अधिकारी (ग्राम सेवक पदेन सचिव) को दी जा सकती हैं। शिकायत प्राप्ति की रसीद हाथों–हाथ दी जाती है। यहाँ से उस शिकायत या समस्या को निवारण के लिए उसे संबंधित विभाग में पहुँचा दिया जाता है। अगर नियत समय सीमा में सुनवाई नहीं होती है या निर्णय के प्रति असंतोष है, तो बड़े अधिकारी को अपील की व्यवस्था भी है। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान भी है।

जैसा कि हम पाठ के आरम्भ में पढ़ चुके हैं कि वर्तमान में विश्व की अधिकांश सरकारों का स्वरूप लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी है। लोकतंत्र में जनता एक निश्चित अवधि के बाद नई सरकार चुनती है। लोकतंत्र में सरकार की सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसने कहाँ तक लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है।

शब्दावली

न्यूनतम् जीवन स्तर – रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि आधारभूत आवश्यकताओं का वह न्यूनतम् स्तर जो एक व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए वांछित है।

कल्याणकारी राज्य – वह सरकार जो नागरिकों को न्यूनतम् जीवन स्तर की सुविधाएँ, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली – समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिये स्थपित प्रणाली

कौशल – दक्षता

विषेष योग्यजन – मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टि–बाधित और शारीरिक रूप से बाधित अन्यथा सक्षम व्यक्ति।

www.rajteachers.com

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

(i) लोक कल्याणकारी योजनाएँ निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित होती हैं –

(अ) भोजन और आवास से (ब) स्वास्थ्य सुविधाओं से

(स) शिक्षा और रोजगार से (द) उपर्युक्त सभी से ( )

(ii) लोक कल्याणकारी सरकार के कर्त्तव्यों में सम्मिलित हैं–

(अ) न्यूनतम जीवन स्तर की गारण्टी (ब) शिक्षा और रोजगार

(स) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (द) उपर्युक्त सभी ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

(i) .....से ..... वर्ष की आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है।

(ii) निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा के लिए टोल फ्री नम्बर ..... है।

(iii) ..... के अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान की जनता ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

3. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए –

स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(I) अन्त्योदय योजना	ई–गवर्नेन्स
(ii) महात्मा गाँधी नरेगा	कम्प्यूटर शिक्षा
(iii) ई–मित्र	खाद्य सुरक्षा
(iv) डिजिटल इण्डिया अभियान	ग्रामीण रोजगार

4. लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं ?

5. सरकार की जवाबदेही से सम्बन्धित तीन कानूनों के नाम लिखिए।

6. निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बन्धित लोक कल्याणकारी योजना के बारे में बताइए–

(I) शिक्षा (ii) खाद्य सुरक्षा (iii) चिकित्सा

(Iv) आवास (v) रोजगार (vi) ई–गवर्नेन्स

www.rajteachers.com

अध्याय 14

संचार माध्यम और लोकतंत्र

इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि संचार माध्यम (मीडिया) क्या होता है तथा इसके विभिन्न रूप कौन–कौन से होते हैं ? साथ ही वर्तमान समय मे विभिन्न क्षेत्रों मे मीड़िया की बढ़ती भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम यह जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में किस तरह मीडिया लोकतन्त्र को मजबूत करने में भूमिका निभाता है ? तथा इस व्यवस्था में कैसे मीडिया की स्वायत्ता को बनाए रखते हुए उसके उत्तरदायित्व तय किये जा सकते हैं ?

अक्सर हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो पल–पल उनके यात्रा कार्यक्रमों की समस्त जानकारी हमें मिलती रहती है। इसी तरह हमारी क्रिकेट टीम विदेश दौरे पर जाती है तो वहाँ खेले जाने वाले मैच के परिणामों की जानकारी भी तुरन्त हो जाती है। विश्व में होने वाले घटनाक्रमों की जानकारी भी हमें लगातार मिलती रहती है। आखिर हमें ये जानकारियाँ किस प्रकार से प्राप्त होती हैं ? हमें ये जानकारी टी.वी., रेडियो, अखबार आदि साधनों से प्राप्त होती है। इन सभी साधनों को हम 'संचार के माध्यम' (मीडिया) कहते हैं। इन साधनों के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा।

संचार माध्यमों से प्राप्त सूचनाएँ

गतिविधि–

दिये गये चित्रों को देख कर हमें क्या सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं शिक्षक की सहायता से चर्चा करके लिखिये।

संचार माध्यम का अर्थ

मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से बना है जिसका अर्थ होता है– 'माध्यम'। विचारों और सूचनाओं के आदान–प्रदान की प्रणाली को हम 'संचार माध्यम' या 'मीडिया' कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार–पत्र व पत्रिकाएँ, टेलीफोन, कम्प्यूटर आदि मीडिया के विभिन्न रूप हैं जो वर्तमान समय में प्रचलित हैं।

www.rajteachers.com

संचार माध्यम (मीडिया) के रूप

- **मुद्रण माध्यम** → समाचार पत्र–पत्रिकाएं पुस्तक एवं जर्नल आदि
- **वार्तालाप माध्यम** → टेलीफोन, मोबाईल फोन, वीडियो फोन आदि
- **इलेक्ट्रोनिक माध्यम** → फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन ऑडियो–वीडियो कैसेट डिस्क आदि

संचार माध्यमों के लिये प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरन्तर बदलती रहती है। वर्तमान में कम्प्यूटर के माध्यम से इन्टरनेट सेवा का प्रयोग एवं सोशल साइट्स से सूचनाओं के प्रवाह में क्रान्ति आई है।

जनसंचार के माध्यम

अखबार, रेडियो, टेलीविजन और इण्टरनेट की सोशल साईट्स की पहुँच बड़े जन समूह तक होने एवं अधिक लोगों को एक साथ प्रभावित करने के कारण इन्हे 'जन संचार के माध्यम' (मास मीडिया) कहा जाता है।

टेलीविजन

रेडियो

सोशल साइट्स

समाचार पत्र

इण्टरनेट

जन संचार के विभिन्न माध्यम

www.rajteachers.com

समाचार–पत्र,पत्रिकाएँ, जर्नल आदि 'मुद्रण माध्यम' (प्रिन्ट मीड़िया) के उदाहरण हैं। इन्हें हम मीडिया का सबसे पुराना रूप कह सकते हैं। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में इसके पाठकों मे कमी आई है, फिर भी इसे सूचना का सबसे भरोसेमंद एवं उत्तरदायी माध्यम माना जाता है। रेडियो, टेलीविजन आदि ब्रॉडकास्टिंग माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) की श्रेणी में आते हैं। ये विश्व के किसी भी कोने में होने वाली महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी तुरन्त पहुँचाने का प्रभावी माध्यम हैं। ये माध्यम घटनाओं को प्रभावी ढ़ंग से दिखाते हैं और विशेषज्ञों के माध्यम से उनका विश्लेषण करते हैं जिससे दर्षकों को किसी घटना के सभी पहलुओं को समझने का मौका मिलता है।

गतिविधि–

अपने गाँव/शहर में आप को देश–विदेश की विभिन्न सूचनाएँ किन–किन माध्यमों से प्राप्त होती हैं ? अपने सहपाठियों की सहायता से उन माध्यमों की सूची बनाइये।

जनसंचार माध्यम का महत्व

संचार के माध्यमों से हमें देश–विदेश मे होने वाली राजनीतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, गीत–संगीत, षिक्षा, विज्ञान तथा तकनीकी से सम्बन्धित सूचनाओं और महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेपाल में आए भूकम्प की घटना हो या उडीसा और आन्ध्रप्रदेश में सूनामी का कहर, हम सबने टेलीविजन, रेडियो, अखबार के माध्यम से इस विनाश को देखा–सुना और पढ़ा है। जनसंचार माध्यमों ने इन घटनाओं के प्रति हमारे मन में संवेदना पैदा करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। मीडिया आर्थिक एवं सांस्कृतिक वैश्वीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो आदि संचार माध्यम जनमानस के विचारों एवं दृष्टिकोण के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न विज्ञापनों और सूचनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा जनहित में जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार व प्रसार में सहायक हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं, जैसे– शिक्षा सबके लिये, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इण्डिया, भामाशाह योजना, जन–धन योजना, ग्रीन इण्डिया–क्लीन इण्डिया, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, सड़क सुरक्षा अभियान जैसे सामाजिक सरोकारों से संबन्धित कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार में मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है।

इस तरह हम समझ सकते हैं कि वर्तमान में मीडिया शिक्षा, जागरूकता, समस्या समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मीड़िया हमें सिर्फ सूचनाएँ प्रदान करने का कार्य ही नहीं करता, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुडे मुद्दों को भी यह प्रमुखता से उठाता है। जन जागरूकता व जनमत निर्माण में भूमिका निभाता है।

गतिविधि–

आपके विद्यालय मे आने वाले समाचार पत्रों से सरकार की विभिन्न योजनाओं के विज्ञापनों की कतरनें काट कर चार्ट पर चिपकाएँ एवं अपने शिक्षक की सहायता से उन योजनाओं के लाभ पर चर्चा कीजिए।

www.rajteachers.com

सड़क सुरक्षा में मीडिया की भूमिका

हम आए दिन अखबारों में पढ़ते है कि सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई है या गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चला कर इन घटनाओं के प्रति लोगों को जागरुक किया जाता है। यातायात नियमों की जानकारी लोगों को विभिन्न माध्यमों से दी जाती है। इस अभियान में मीडिया की भूमिका खास हो जाती है। मीड़िया लोगों को संदेशों व विज्ञापनों के माध्यम से यातायात के नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करे। उसे सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार सकारात्मक सूचनाएँ प्रसारित करनी चाहिए। सामाजिक विज्ञापन से घर और सड़कों पर जीवन की सुरक्षा संबंधी सन्देश देना चाहिए। मीडिया को स्पष्ट और निष्पक्ष विचार रखने चाहिए ताकि लोगों के विचारों में सकारात्मक प्रभाव पड़े। कुछ विज्ञापन गैर जिम्मेदाराना तरीके से उच्च क्षमता के वाहनों का प्रदर्शन स्टंट के दृश्य सहित, लेकिन बिना वैधानिक चेतावनी के प्रसारित किए जाते हैं। इसी प्रकार के दृश्यों वाले अन्य अनेक विज्ञापन और भी प्रसारित कर दिए जाते हैं। बिना वैधानिक चेतावनी के ऐसे विज्ञापन प्रसारित नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे व युवा इन दृश्यों का अनुसरण कर चोटग्रस्त हो सकते हैं।

वाहन चालन के समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखें –

1. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स हो ।
2. दुपहिया वाहन चालक और सवार हेलमेट का प्रयोग करें। चौपहिया वाहन के चालक व सवार सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
3. वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें।
4. तेज ड्राइविंग से बचें और वाहन निर्धारित गति सीमा में चलावें।
5. नशा करके वाहन न चलावें।
6. यातायात नियमों का पालन करें।
7. अपनी लेन में ही चले और यातायात संकेतकों का पालन करें।
8. आम सड़क पर वाहन चलाते हुए स्टंटबाजी नहीं करनी चाहिए।

गतिविधि–

1. शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में बाँट कर सड़क सुरक्षा पर विज्ञापन तैयार करवाएँ।
2. "सड़कों पर कितना जोखिम है ?" – विषय पर कक्षा में वाद–विवाद करें।

www.rajteachers.com

स्वच्छ भारत अभियान

02 अक्टूबर 2014 गाँधी जयंती के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर स्वच्छ भारत अभियान (क्लीन इड़िया मूवमेंट) की शुरुआत की। भारत के सवा सौ करोड़ लोगों को आन्दोलन का हिस्सा बनाने के लिये प्रधानमंत्री ने खुद हाथ में झाड़ू थामी। अभियान को राजनीति से दूर रखने का ऐलान कर हर नागरिक से आशा जताई कि वह अपने आस–पास स्वच्छता रखेगें। सफाई को सरकारी अभियान के बजाए जनता के आन्दोलन के रूप में स्थापित करने का भी उन्होंने प्रयास किया।

लोकतन्त्र में संचार माध्यमों की भूमिका–

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष संचार माध्यम (मीड़िया) लोकतन्त्र की अनिवार्य शर्त है। यह सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यह सरकार की योजनाओं एवं कार्यों को जनता तक और जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम है। मीडिया द्वारा न केवल समाचार व सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, बल्कि व्यापक स्तर पर जनमत के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। व्यापक जन समूह तक पहुँच के कारण इसे सशक्त माध्यम माना गया है। संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते है कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है।

'प्रेस' मीडिया का ही एक रूप है जिसे शासन का चौथा स्तम्भ माना गया है। लोकतान्त्रिक देशों में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। इस स्वतन्त्रता का उपयोग प्रेस के कारण सही ढ़ंग से हो सकता है। चुनावों के दौरान इसकी भूमिका और बढ़ जाती है। यह चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देता है जिससे मतदाता अच्छे प्रत्याशी का चयन कर सके। चुनाव होने से लेकर सरकार के गठन तक इसकी प्रभावी भूमिका रहती है।

मीड़िया का क्षेत्र व्यापक होने से जनमत निर्माण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा सरकार के कार्यों एवं नीतियों को व्यापक जनसमूह तक पहुँचाया जाता है। अखबार में लेखों एवं टेलीविजन पर चर्चा द्वारा वास्तविकताओं को जनता के समक्ष रखा जाता है जिससे साधारण नागरिक भी सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जान सके एवं विचार निर्माण कर सके।

सोशल साइट्स के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति का दायरा बढ़ गया है जिनके माध्यम से सरकार के किसी निर्णय पर तुरन्त प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। इससे सरकार को जनता के रुख का पता चलता

www.rajteachers.com

है एवं सरकार अपनी नीतियों की समीक्षा कर सकती है। इस तरह से बहुसंख्य जनता को निर्णय–निर्माण में भागीदारी मिलती है जो मजबूत लोकतन्त्र की पहचान है।

गतिविधि–

अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की सूची बनाइये जिन्हें आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे।

उत्तरदायी मीडिया–

एक आदर्श मिडिया की अवधारणा में मिडिया सूचना प्रदाता, सकारात्मक, सृजनात्मक, प्रेरणादायी और मनोरंजक होता है। मीडिया लोकतन्त्र एवं मानव अधिकारों का एक सशक्त रक्षक है। एक उत्तरदायी मीडिया देश में कानून व्यवस्था को बनाये रखने तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को कायम रखने में अद्वितीय भूमिका निभाता है। मीडिया से राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हुए देश में स्वस्थ जनमत का निर्माण करने और लोगों में उचित दृष्टिकोण विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान देने की अपेक्षा की जाती है। उसे पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों से सम्बन्धित विषयों को जनता के बीच उठाते रहना चाहिए और स्वस्थ बहस को जन्म देना चाहिए। उससे नकारात्मक और अनावश्यक सनसनीखेज रिपोर्टिंग के लालच से बचने की अपेक्षा की जाती है। मीड़िया का यह दायित्व है कि वह बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराये। लोकतंत्र में मीडिया को अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा प्रसारित व प्रकाशित किसी भी लेख अथवा कार्यक्रम से नागरिकों में परस्पर सौहार्द व शांति को आघात न पहुँचे।

शब्दावली

जनमत	–	जनता की राय अथवा जनता का मत
प्रसारण	–	किसी खबर वार्ता या कार्यक्रम को बहुत बड़े क्षेत्र में प्रसारित करना अर्थात फैलाना

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) प्रिन्ट मीडिया का उदाहरण है–

(अ) समाचार पत्र (ब) टेलिविजन

(स) टेलिफोन (द) कम्प्यूटर ( )

www.rajteachers.com

(ii) मीडिया का उपयोग होता है–

(अ) केवल सरकार के लिये (ब) केवल जनता के लिये

(स) सरकार और जनता के लिये (द) केवल मीडिया के लोगों के लिये ( )

2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न रूप बताइये।
3. जन संचार माध्यमों से हमें कौन कौनसी सूचनाओं और घटनाओं की जानकारी मिलती हैं ?
4. आदर्श मीडिया के लक्षण लिखिये।
5. उत्तरदायी मीडिया पर तीन वाक्य लिखिए।
6. लोकतन्त्र में मीडिया का महत्त्व बताइए।
7. सड़क सुरक्षा के प्रति मीडिया अपनी भूमिका किस तरह निभा सकता है,समझाइए।
8. वाहन चलाते समय कौन–कौनसी सावधानियाँ रखनी चाहिए ?

www.rajteachers.com